संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की उपलब्धियां

2004 - 2005

भारत सरकार

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की उपलब्धियां

2004—2005

विषय सूची

I.	प्रस्तावना	1
II.	स्वास्थ्य	3
III.	शिक्षा	4
IV.	खाद्य और पोषण सुरक्षा	6
V.	सांप्रदायिक सद्भाव और अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निराकरण	7
VI.	महिला सशक्तीकरण	9
VII.	अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्ग का सशक्तीकरण	10
VIII.	ग्रामीण विकास	11
IX.	कृषि और सहकारी समितियां	12
X.	जल प्रबंधन	14
XI.	शासन संबंधी सुधार और नागरिक समाज का सुदृढ़ीकरण	15
XII.	केंद्र - राज्य संबंधी मुद्दे	17
XIII.	पंचायती राज	18
XIV.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	18
XV.	पूर्वोत्तर राज्य	19
XVI.	जम्मू और कश्मीर	21
XVII.	औद्योगिक विकास और निवेश का संवर्धन	23
XVIII.	असंगठित क्षेत्र और लघु उद्योग	25
XIX.	अवसंरचना	26
XX.	विदेश संबंधी मामले	27
XXI.	अन्य पहल-कार्य	27

I. प्रस्तावना

वर्ष 2004 के आम चुनावों में भारत की जनता द्वारा दिए गए जनादेश के आधार पर ऐसी नई शासन व्यवस्था को कार्यरूप देने के लिए मई, 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया गया जिसका उद्देश्य उत्तरदायी, त्वरित कार्रवाई व चिंता करनेवाली और सभी पहलुओं का ध्यान रखने वाली सरकार बनाना था।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और उसके समर्थक दल सामाजिक समरसता को सुरक्षित, संरक्षित एवं संवर्धित करने तथा सामाजिक सौहार्द एवं शांति को भंग करने वाले रूढ़िवादी व कट्टरपंथी तत्वों से निपटने के लिए कानून को किसी भय या पक्षपात के बिना लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रति दशक कम से कम 7 - 8 % प्रति वर्ष की दर से निरंतर वृद्धि हो और यह इस प्रकार हो कि उससे रोजगार सृजन हो ताकि प्रत्येक परिवार को सुरक्षित व निर्वाह योग्य आजीविका अवश्य प्राप्त हो।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किसानों, खेतीहर मज़दूरों और कामगारों विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण एवं उनकी बेहतरी के लिए और उनके परिवारों को हर दृष्टि से सुरक्षित भविष्य देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यह गठबंधन महिलाओं को राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक व कानूनी रूप से सशक्त बनाने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेषकर शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में, अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अंत में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और उसके समर्थक भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी व जवाबदेह सरकार देने के साथ-साथ देश के उद्यमियों, व्यवसायियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों व अन्य सभी पेशेवर लोगों तथा समाज की उत्पादनशील की सृजन क्षमता विकसित करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन उन विचारों और आदर्शों की रक्षा व संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे गणराज्य का अभिन्न अंग हैं तथा जो हमारे लोकतांत्रिक व पंथनिरपेक्ष संविधान का आधार हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का मानना है कि हमारे राष्ट्र का निर्माण उदार एवं सामाजिक लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति गहरी व अटल आस्था की नींव पर हुआ है। बहुलतावाद, पंथनिरपेक्षवाद, बहु-संस्कृतिवाद और साम्यता, सामाजिक न्याय के सिद्धांत तथा विधि सम्मत शासन हमारी सभ्यता की मूल मान्यताएं हैं और हमारे गणराज्य का आधार हैं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को इस बात का गर्व है कि उसने सत्ता में आने के 19 माह की अल्प अवधि में ही अपनी काफी प्रतिबद्धताएं पूरी कर ली हैं। इससे पहले किसी भी सरकार ने इतनी कम अवधि में अपनी घोषित प्रतिबद्धताओं को इस सीमा तक पूरा नहीं किया था। इस कार्यान्वयन रिपोर्ट में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने इस देश के नागरिकों के जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसका उल्लेख कार्यक्रम या नीति के रूप में नहीं किया जा सकता और न ही उसके आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह योगदान है समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों में सुरक्षा तथा कल्याण की नई भावना उत्पन्न करना। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने संपूर्ण समाज, सजग राजव्यवस्था व अधिक साम्यपूर्ण अर्थव्यवस्था कायम करने के लिए श्रमसाध्य कार्य किया है। सात प्रतिशत से अधिक की विकास दर बनाए रखकर सरकार विश्व में तेल की कीमतों

में भारी बढ़ोत्तरी के बावजूद कीमतों को स्थिर रखने में सफल रही है। यह सुदृढ़ समष्टि-अर्थव्यवस्था प्रबंधन की एक असाधारण उपलब्धि है। सतत आर्थिक विकास और राजकोष के समुचित प्रबंधन से सरकार वर्ष के दौरान किए गए बहुत-से प्रयासों, विशेषकर रोजगार गारंटी कार्यक्रम और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्र में नये निवेश के लिए अपेक्षित संसाधन जुटा सकेगी।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित कार्य करने के अतिरिक्त सरकार ने अभिनव पहल भी की हैं। इनमें से भारत निर्माण उल्लेखनीय है। इनमें भारत की तस्वीर बदलने की क्षमता है। परंतु, सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, विशेष रूप से निचले स्तर पर कठिन मेहनत आवश्यक है। जनता में जागरूकता पैदा करना और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना संबंधित नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं का पवित्र कर्त्तव्य है। सरकारी नीतियों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में नागरिक समान के सदस्यों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है।

II. स्वास्थ्य

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन एच आर एम) शुरू कर दिया गया है और इस संबंध में **अनुबंध-I** में विस्तृत नोट दिया गया है। 10 उच्च प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में मार्च 2006 तक एक लाख और 2008 तक 2.5 लाख ए एस एच ए नियुक्त किए जाने की संभावना है। इस मिशन के तहत अनेक स्वास्थ्य बीमा मॉडल खोजे जा रहे हैं। संक्रामक रोगों में कमी लाना भी इस मिशन का हिस्सा है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम स्वयं प्रधान मंत्री के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत परिवार नियोजन के मूल के रूप में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल को शामिल करना अपेक्षित है। इससे जनसंख्या में भी ठहराव आने की संभावना है। जनसंख्या नियंत्रण शब्द को छोड़ दिया गया है। एन एच आर एम के अंतर्गत ए एस एच ए के लिए प्रोत्साहनों में परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन भी शामिल हैं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना को अनुमोदित किया गया है। एन आर एच एम के अंतर्गत जिला योजनाओं को कुछ राज्यों में अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यों को सूचित किया गया है कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण पर अधिक ध्यान देकर जनसंख्या के स्थिरीकरण का समाधान करें। दक्षिण के राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जनसांख्यिकीय रूप में कमजोर राज्यों में उनकी विशिष्ट स्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात उपयुक्त नीति बनाई जाएगी। इसे अधिक ठोस रूप देने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया और जुलाई 2005 में इसकी बैठक की गई।

सरकार ने 467 अतिरिक्त एकीकृत बाल विकास योजना (आई सी डी एस) परियोजनाएं और 1.88 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संस्वीकृत किए हैं जिससे कि प्रति 1000 जनसंख्या (जनजाति/पर्वतीय/रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 700) के लिए एक केंद्र के मौजूदा जनसंख्या मानदंड के अनुसार प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 6, 119 हो गई है और आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या लगभग 9 लाख हो गई है जो 1975 में एकीकृत बाल विकास योजना प्रारंभ करने से अब तक स्थापित लगभग 7 लाख केंद्रों से 25% अधिक है। पोषक आहार की आपूर्ति के लिए वित्तीय मापदंड को अक्तूबर, 2004 से दुगुना करके प्रतिदिन प्रति लाभभोगी दो रूपया कर दिया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाभभोगी को पोषण की अपेक्षित मात्रा मिल रही है। अब केंद्र सरकार पोषण आहार का 50% खर्च उठा रही है जो अब तक पूर्णतः राज्य का उत्तरदायित्व था। आंगनबाड़ी केंद्र गठित करने के लिए कार्यबल ने नए जनसंख्या मापदंडों की सिफारिश की है और संशोधित मापदंड तैयार किए जा रहे हैं।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ; 10 उच्च प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में सभी गांवों में प्राधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता - एएसएचए नियुक्त किए जाएंगे।**
- **स्वास्थ्य योजना परिव्यय** को दो वर्षों में 3, 443 करोड़ रूपए (55%) तक बढ़ाया गया।
- व्यापक स्वास्थ्य देखभाल जिसे परिवार नियोजन के लिए आधार के रूप मान्यता दी गई है।
- **जननी सुरक्षा योजना** - संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए।
- **आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वव्यापीकरण** - 1.88 लाख नए केंद्र।
- **पोषण के लिए वित्तीय मापदंडों को दुगुना करना**, केंद्र की लागत में हिस्सेदारी 50%।
- एक वर्ष में **पोषण परिव्यय** में 1, 518 करोड़ रूपए (70%) तक वृद्धि।
- **सभी गर्भवती और स्तन पान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण, यह गरीबी रेखा के नीचे आने वाली महिलाओं और बच्चों तक सीमित नहीं है।**

III. शिक्षा

सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए शिक्षा उपकर (मुख्य केंद्रीय करों पर 2% दर से) लगाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा कोष के नाम से अव्ययगत निधि का गठन किया गया है जिसमें शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि रखी जाएगी ताकि इस निधि का उपयोग प्राथमिक शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान (एस एस ए) और मध्याह्न भोजन योजना के वित्त पोषण किया जा सके। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत सन् 2007 तक प्राइमरी स्तर पर और 2010 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालक-बालिका और सामाजिक श्रेणी अंतराल को पाटने की कोशिश की गई है। सर्वशिक्षा अभियान में व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा की संतोषजनक गुणवत्ता पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान का अगला महत्वपूर्ण लक्ष्य 2010 तक सभी के लिए शिक्षा (यूनिवर्सल रिटेन्शन) प्राप्त करना है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें मौजूदा 8.96 लाख विद्यालयों और 35 लाख अध्यापकों के माध्यम से 11 लाख परिवारों में लगभग 20.9 करोड़ बच्चे शामिल हैं। सर्वशिक्षा अभियान के तहत सितम्बर 2005 तक कुल 1, 29, 893 नए विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। सितम्बर 2005 तक 57, 838 विद्यालय भवन और 1, 13, 506 अतिरिक्त कमरे (क्लास रूम) बना लिए गए हैं। जबकि 34, 694 विद्यालय भवन और 1, 10, 927 अतिरिक्त कमरे (क्लास रूम) बन रहे हैं; मार्च 2005 तक 88, 022 और 63, 448 विद्यालयों में शौचालय और पेयजल सुविधा मुहैया कराई गई हैं, जबकि 32, 688 और 26, 717 विद्यालयों में काम चल रहा है ; और 4, 92, 261 अध्यापक भरती किए गए हैं। सर्वशिक्षा अभियान के परिणाम प्राइमरी स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 95.39% और प्राथमिक स्तर पर 82.5% दर्शाते हैं।

विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति और विद्यालय जाने वाले छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में राष्ट्रीय तैयार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आरंभ किया है जिसमें लगभग 12 करोड़ बच्चे शामिल है। इससे पहले राज्यों को प्रति बच्चा 3 किलो कच्चा अनाज मुफ्त दिया जाता था। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गरमियों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान किए गए है। राज्यों को सन् 2004-05 में एक रूपया प्रति बालक प्रति स्कूल दिन की दर से भोजन पकाने की लागत के रूप में सहायता दी जा रही है। 2004-05 से, राज्यों को परिवहन आर्थिक सहायता में विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 100% तथा अन्य राज्यों के लिए 50% तक की वृद्धि की गई है। बेहतर पर्यवेक्षण और मॉनीटरन के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए है। 28 में से 24 राज्यों में तैयार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं जबकि शेष चार राज्य में इसे अंशतः लागू किया जा रहा है।

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में नामाकित मेडिकल और इंजीनियरी क्षेत्रों के लिए, जो ए आई पी एम टी और ए आई ई ई ई में भाग ले हैं। इंजीनियरी के लिए 350 वार्षिक छात्रवृत्तियों और एम बी बी एस के लिए 150 वार्षिक छात्रवृत्तियों के साथ-साथ चार प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना (मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम) शुरू की गई है। बैंकों ने भी 7.5 लाख रूपए तक के छात्र ऋण के लिए यदि छात्र की ओर

- प्राथमिक शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के वित्त पोषण के लिए **शिक्षा उपकर लागू किया गया और प्रारंभिक शिक्षा कोष स्थापित किया गया।**
- **सर्वशिक्षा अभियान परिव्यय** सन् 2003-04 के परिव्यय स्तर से बढ़कर 4,424 करोड़ रूपए (162%) किया गया। **प्राथमिक शिक्षा बजट** दो वर्षों में बढ़कर 7,082 करोड़ रूपए (129%) हो गया है। **मध्याह्न भोजन परिव्यय** दो वर्ष में बढ़कर 1,970 करोड़ रूपए (143%) हो गया।
- **तैयार मध्याह्न भोजन योजना** आरंभ की गई और इसमें राज्यों को भोजन पकाने की लागत

से कोई संतोषजनक गारंटी उपलब्ध कराई जाती है, संपार्श्विक प्रतिभूति की जरूरत में छूट दे दी है जो पहले 4 लाख रूपए थी। उच्च शिक्षा के प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज या ऋण की चुकौती के लिए अदा की गई राशि पर पिछले वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गई ब्याज की पूरी राशि को बिना किसी सीमा के कटौती की अनुमति दी गई है आयकर अधिनियम के तहत कटौती की यह सीमा पहले 40, 000 रूपए थी। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में उपलब्ध सभी छात्रवृत्तियों, फ्रीशिप्स और शिक्षा ऋण संबंधी सुविधाओं के संबंध में समस्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल डिजाइन (www.educationsupport.nic.in) और लांच किया है। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा - पूर्व प्रशिक्षण योजना, जो पहले सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित थी, ऐसे प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही है जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्रदर्शित करने का सतत रिकार्ड है।

मुहैया कराने के लिए प्रावधान किए गए है।

- **निर्धनों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय** किए गए है; छात्रवृत्ति, छात्र ऋण हेतु संपार्श्विक ऋण में छूट की सीमा में वृद्धि। छात्र ऋण वापसी पर कर सीमा में छूट। छात्रवृत्ति और ऋण पोर्टल, अल्पसंख्यकों को परीक्षा-पूर्व कोचिंग के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को भी शामिल करना।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी ए वी ई) की उप-समिति ने शिक्षा का अधिकार विधेयक पर अपनीर रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना के संबंध में व्यापक परामर्श दिए जा रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुरु की गई कार्रवाई आयोग की आवश्यकता के लिए समुचित है यह विचार किया जा रहा है कि आयोग के कार्य उच्चतर शिक्षा से संबंधित होने चाहिए विशेष रूप से इसमें भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और संसद में उसे प्रस्तुत करना, संरचनात्मक एवं अन्य सुधारों की सिफारिश करना और मॉनीटरन करना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्वीकृति करना, उच्चतर शिक्षा संबंधी सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरन एवं रिपोर्ट देना तथा नए विचार प्रस्तुत करना शामिल है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं कि उच्चतर अध्ययन एवं व्यावहारिक शिक्षा के सभी संस्थानों की स्वायत्ता बनी रहेगी। इनमें शामिल हैं: (i) भारतीय प्रबंध संस्थानों की फीस संरचना निर्धरित करने के उनके अधिकार को बहाल करना, (ii) शैक्षिक संस्थानों को माप्त शिक्षा कोष के माध्यम से वित्तीय अंशदान होकर देने की इस बाध्यता को दूर करना, (iii) सभी विश्वविद्यालयों में शासन पद्धतियों के मानकीकरण के लिए मॉडल विश्वविद्यालय अधिनियम के मसौदे को वापस लेना, (iv) आगे की कार्रवाई के लिए सहमति के आधार के रूप में चर्चा करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्ता को बढ़ाने के उपायों पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार करना, (v) विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान में सहयोग के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के आदेशों को वापस लेना, (vi) वित्तीय स्वायंत्रणा की बहाल करने के लिए संस्थाओं को ब्लॉक ग्रांट देने की स्कीम को पुनः शुरू करना तथा (vii) विश्विवद्यालयों की ए आई ई ई ई ऑप्शनल में भागीदारी कराना।

IV. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

मध्याह्न भोजन स्कीम, आई सी डी एस, किशोरी शक्ति योजना, किशारियों के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के माध्यम से पोषण संबंधी सुरक्षा प्राप्त की जा रही है। जैसा उल्लेख किया गया है, तैयार मध्याह्न भोजन तथा आई सी डी एस को सर्व-व्यापक बनाया जा रहा है। सरकार ने देश में इस स्कीम को 2000 आइसीडीएस परियोजनाओं से बढ़ाकर 6, 119 आईसीडीएस परियोजनाओं में विस्तार कर दिया गया है जिसके अंतर्गत किशोरी शक्ति योजना के तहत 11-18 वर्ष की आयु की बालिकाओं को शामिल किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से खाद्य सुरक्षा दी जा रही है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत लागत में वृद्धि की गई तथा अंत्योदय अन्य योजना को भी बढ़ाया गया है। अंत्योदय अन्न योजना का एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है इस प्रकार इसमें 60% की वृद्धि हुई है। उचित दर की दुकानों को व्यवहार्य बनाने के लिए उन्हें पी सी ओ के रूप में उपयोग में लाने के निर्देश जारी किए गए हैं तथा उन्हें दिए गए उधार को प्राथमिकता क्षेत्र के उधार के रूप में समझे जाने के आदेश दिए गए हैं। व्यापक स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को शामिल करने और उसे अधिक विस्तृत बनाने के लिए सरकार, खाद्यान्न बैंकों की मौजूदा स्कीम में संशोधन कर रही है।

- तैयार मध्याह्न भोजन योजना के जरिए प्राथमिक विद्यालयों, सर्व-व्यापक आंगनवाड़ी केन्द्रों में **सर्व-व्यापक किशोरी शक्ति योजना** तथा सर्व-व्यापक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में खाद्य सुरक्षा शुरू की गई।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से खाद्य -सुरक्षा के लिए एस जी आर वाई के अंतर्गत लागत बढ़ाई गई, **अंत्योदय अन्न योजना में 60% विस्तार किया गया**।

V. सांप्रदायिक सद्भावना तथा अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निराकरण

राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनगर्ठन किया गया है तथा अगस्त, 2005 में उसकी बैठक हुई है। सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए तथा सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए उपयुक्त और समय पर राहत एवं पुनर्वास उपाय करने के लिए विल संसद में प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा के सांप्रदायिकरण की प्रवृत्ति को बदलने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

(i) इतिहासकारों के एक पैनल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, (एन सी ई आर टी) की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की तुरंत पुनरीक्षा की ओर इस संबंध में सरकार ने अपनी सिफारिशें कार्यान्वित की हैं।

(ii) स्कूली शिक्षा के लिए संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यक्रय की रूपरेखा, 2006 में शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र के लिए रखे जाने की संभावना है।

(iii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकायों से अपने कार्यो की पुनरीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया है, जिनसे शिक्षा के सांप्रदायिकीकरण का अवबोध होता है, तथा उनसे समुचित सुधारक उपाय करने के लिए कहा गया है।

(iv) केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को व्यापक परामर्श देने तथा संघीय भावना में विश्वास रखने के लिए पुनर्जीवित किया गया है।

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से की गई है। आयोग के मेनडेट को और व्यापक बनाने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को उनकी पसंद के किसी विश्वविद्यालय से संबंध करने का अधिकार देना शामिल है, जिससे ऐसी संस्थाओं को शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं दूर हो सकें तथा आयोग द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के अल्पसंख्यक स्तर से संबंधित विवादों को निपटाया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम एवं उसमें प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान शुरू करने एवं उन्हे चलाने के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार देने से संबंधित संविधान को उपबंधों का पहली बार प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाएगा।

- **राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनजीर्वित किया गया।**
- **सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीडितों का पुनर्वास) विधेयक** संसद में **प्रस्तुत किया गया।**
- **शिक्षा के संप्रदायीकरण की प्रवृत्ति को बदला गया।**
- **अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं** को किसी विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होने का विकल्प देने के लिए तथा उनके द्वारा संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के बाबत राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना
- **अल्पसंख्यकों के बीच पिछडे वर्गो को कल्याण के लिए उपायों ढूँढने के लिए आयोग की स्थापना।**
- **अल्पसंख्यक आयोग के संवैधानिक स्तर देने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया।**
- **अल्पसंख्यकों की स्थिति का गहन अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति सच्चर समिति गठित की गई।**
- **अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना।**
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम का व्यय तिगुना किया गया।**

अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का, शिक्षा एवं सरकारी रोजगार में आरक्षण सहित बेहतर ढंग से कल्याण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है।

अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए एक विधेयक संसद में रखा गया है।

न्यायमूर्ति सच्चर के अंतर्गत एक समिति अल्पसख्यकों की स्थिति का गहन अध्ययन कर रही है तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं अधिकारिता के उपायों की सिफारिश करेगी।

अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के लिए 2004-05 के बजट में 50 करोड़ रूपए की राशि का अतिरिक्त आबंटन किया गया, जो कि पिछले वर्ष दी गई 21.79 करोड़ रूपए की लागत के तिगुने से भी अधिक है राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथानुपात अंशदान दिए जाने की शर्त को हटा दिया गया है। आउटकम बजट 2005-06 के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के माध्यम से वर्ष में अल्पसंख्यकों में से 36,000 हजार व्यक्तियों को लाभ देने की संभावना है।

VI. महिला सशक्तीकरण

विधानः घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का अधिनियमन करके परिवार में होने वाली घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में महिलाओं को प्रताड़ना रहित और हिंसारहित वैवाहिक अथवा अन्य पारिवारिक संबंधों के लिए सशक्त बनाया गया है और सिविल उपचारों के ऐसे उपबंध किए गए हैं जो अभी तक किसी दंड विधि की परिधि में नहीं आते थे। सभी राज्यों में सहदायिकी संपत्ति में हिंदू महिलाओं को पुरुषों के समान उत्तराधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है, और अब यह राज्य की असंगत विधियों के अधिक्रमण में होगा। संसद ने दंड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन करने के लिए विधेयक पारित किया है जिसमें रात्रि में महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का उपबंध किया गया है। सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 को संशोधित करने के लिए भी संसद में विधेयक पारित किया है ताकि महिलाओं के कार्य करने के घंटों में छूट दी जा सके और उनका कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। यह महिलाओं के सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से साफ्टवेयर सेवा क्षेत्र में और डाटा केंद्रों में नियोजन में सहायक होगा। बाल विवाह रोक अधिनियम को संशोधित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है। सती निवारण कानून को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में संशोधन करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। सरकार ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया है ताकि दुर्व्यापारियों, दलालों और वेश्यागृहों के मालिकों के लिए विधि के उपबंधों को अधिक कठोर बनाया जा सके और अधिनियम के ऐसे उपबंधों को हटाया जा सके जो देह व्यापार के जरिए शोषित महिलाओं के विरूद्ध विभेदकारी हैं।

वित्तीय व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करनाः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में महिलाओं के लिए एक तिहाई रोजगारों का निर्धारण किया गया है जिसमें मुख्य भूमिका पंचायतों को दी गई हैं। 18 मंत्रालयों में स्त्री-पुरूष अनुपातिक बजट तैयार किए गए हैं ताकि सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण पर किए जा रहे व्यय के प्रभाव का आकलन करके उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

महिला आरक्षण विधेयकः विधान-मंडलों में महिलाओं के एक-तिहाई आरक्षण के लिए प्रारूप विधेयक(ड्राफ्ट बिल) तैयार किया जा चुका है और इस पर आम राय प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने सभी विपक्षी दलों और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सभी पक्षों के साथ बैठकें की हैं। महिलाओं के समूहों और अन्य पणधारियों के साथ चर्चाएं की गई हैं।

- **घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम** इस अधिनियम में प्रताड़ना/हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सिविल उपचारों का उपबंध किया गया है।
- **सहदायिकी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए हिंदू महिलाओं को समान अधिकार**
- **रात्रि में महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए वियेयक पारित।**
- **महिलाओं के लिए कार्य घंटों में छूट देने के लिए विधेयक प्रस्तुत।**
- **सती निवारण व बाल विवाह निवारण संबंधी नियमों को सशक्त करने का कार्य विचाराधीन है।**
- **अनैतिक व्यापार और देह व्यापार की शोषित महिलाओं के प्रति विभेदकारी व्यवहार के प्रति कठोर कार्रवाई के संबंध में जल्दी ही कानून बनाया जाएगा।**
- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए रोजगार का निर्धारण**
- **स्त्री-पुरूष आनुपातिक बजट बनाने का काम शुरू**

VII. अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़े वर्ग का सशक्तीकरण

संसद ने राज्यों को अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विशेष रूप से प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन पारित किया है।

वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को वनभूमि में अधिकार और अधिभोग का अधिकार देने, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की चिंता का मुख्य विषय है और गौण वनोत्पादों के स्वामित्व का अधिकार देने के संबंध में संसद में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

आरक्षण को सांविधिक अधिकार का दर्जा देने के संबंध में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया और अब इस पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर विचार किया जा रहा है। सरकार ने आरक्षित पदों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बैकलॉग रिक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी सभी आयामों पर विचार करने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है। निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई की जांच करने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है। इससे उद्योग समूह के साथ इस संबंध में वार्ता आरंभ हुई है कि निजी क्षेत्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की महत्वा-कांक्षाओं को किस प्रकार पूरा कर सकता है।

जनजातियों के निरंतर विकास की समस्याओं के निराकरण के लिए जनजातीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है। इसके विचारार्थ विषयों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित पुनर्वास नीति के संबंध में विधि बनाना भी शामिल है जिससे जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय अधिकारों के विद्यमान विधियों के अंतर्गत गारंटित संसाधनों से टकराव के मामलों में हस्तक्षेप करने और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के क्रियान्वयन को मानीटर करने में सशक्त हो सके। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम को क्रियान्वित करने का आदेश दिया है। अन्य बातों के साथ-साथ, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। खान मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के अनुरूप अपने नियमों में संशोधन करें और ग्राम सभाओं/ पंचायतों को खनन कार्य से संबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश जारी करें। अनुसूचित क्षेत्रों वाले अधिकांश राज्य ऐसा कर चुके हैं।

भारत निर्माण के अंतर्गत भू-जल द्वारा वर्ष 2009 तक 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास करने से मुख्यतया छोटे व सीमांत दलित और आदिवासी किसानों को लाभ मिलेगा।

- **प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा के लिए संविधान में संशोधन**
- **वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को वनभूमि** और गौण वनोत्पादों **में अधिकार देने के लिए विधेयक प्रस्तुत।**
- **आरक्षण को सांविधिक अधिकार का दर्जा देने के लिए विधेयक प्रस्तुत;** बैकलॉग रिक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर विचार किया जा रहा है; निजी क्षेत्र द्वारा अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के युवाओं की महत्वा-कांक्षाओं को पूरा करने के संबंध में मंत्री समूह की उद्योग समूह से वार्ता।
- **राज्यों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के क्रियान्वयन** के लिए पंचायती राज मंत्रालय को शीर्ष मंत्रालय बनाना।
- **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों को लाभान्वित करने के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत भू-जल द्वारा वर्ष 2009 तक 10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई।**
- **जनजातीय कार्यों पर मंत्रिमंडल समिति गठित।**

VIII. ग्रामीण विकास

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया जा चुका है। पहली बार इसमें काम पाने के अधिकार को मौलिक विधिक अधिकार माना गया है और ग्रामीण गरीबों को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का हक दिया गया है। 2005-06 के बजट प्राक्कलन के अनुसार ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत इस वर्ष में 161 करोड़ श्रमदिवस बनेंगे जो 2003-04 के 85 करोड़ श्रमदिवसों की तुलना में काफी अधिक हैं। तात्कालिक उपाय के रूप में वर्ष 2005-06 में 150 जिलों में काम के बदले अन्न संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 2003-04 में 4,125 करोड़ रूपए और 50 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया था जिसे 2005-06 में बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपए और 100 लाख टन खाद्यान्न कर दिया गया; इसमें काम के बदले अन्न संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए आबंटन भी शामिल है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम** द्वारा ग्रामीण गरीबों को काम पाने की गारंटी; फरवरी 2006 में 200 जिलों में आरंभ करके 5 वर्षों में गारंटी को देशव्यापी बनाना
- **भारत निर्माण** 2009 तक बिजली, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, आवास और पेयजल संबंधी बुनियादी सुविधाओं पर जोर देने के लिए आरंभ

भारत निर्माण, 2009 तक ग्रामीण अवसंरचना के लिए चार वर्षीय एक छः सूत्रीय समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है। **अनुबंध-III** में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है।

IX. कृषि एवं सहकारी समितियां

सिंचाई: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सिंचित क्षेत्र को 1.2 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 14 मिलियन हेक्टेयर करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत निर्माण में 2009 तक एक करोड़ हेक्टेयर में नए सिंचित क्षेत्र के अलावा टपकन (ड्रिप) व छिड़काव सिचाई के माध्यम से माइक्रो-सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के संबंध में वर्ष 2004-05 में समीक्षा की गई और वर्ष 2005-06 में यह धनराशि बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपए कर दी गई।

ऋण: वर्ष 2004-05 में कृषि व संबंधित कार्यकलापों के लिए 115,243 करोड़ रुपए का ऋण आबंटित किया गया था जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 43% अधिक था। वर्ष 2005-06 के लिए कृषि व संबंधित कार्यकलापों के लिए दिए जाने वाले ऋण के लक्ष्य में 22% की वृद्धि की गई और वित्त वर्ष की पहली छःमाही में 59% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2004-05 में अपने कर्जदारों के पोर्टफोलियों में 58 लाख से अधिक नए किसानों को शामिल किया तथा वर्ष 2005-06 के लिए और 50 लाख किसानों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2004-05 में 11,170 करोड़ रुपए के कृषि ऋणों की संरचना की गई। वर्ष 2004-05 में ऋण सुविधा देने के लिए निर्धारित किए गए 1.85 लाख स्वयंसेवी समूहों के लक्ष्य की तुलना में 31.1.05 तक 4.46 लाख स्वयंसेवी समूहों को 1,197 करोड़ रुपए की राशि का ऋण दिया गया था। वर्ष 2005-06 की प्रथम छमाही में 1.11 लाख स्वयंसेवी समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अल्पावधि की ग्रामीण सहकारी संरचना को नया रूप देने के लिए 13,596 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का पैकेज अनुमोदित किया गया है ताकि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के तुलन-पत्रों का समाशोधन करके और उनके पूंजीगत आधार को मजबूत बनाकर उनकी वित्तीय स्थिति को अपेक्षित स्तर पर लाया जा सके और वित्तीय पुनर्गठन किया जा सके।

एकीकृत बाजार: अधिकांश राज्यों में वैट (मूल्यवर्धित कर) लागू किया गया है और वैट के अंतर्गत सृजित एकीकृत बाजार किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आठ राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कृषि उपज विपणन समिति अधिनियमों में संशोधन करने के लिए तैयार किया गया है। घरेलू कृषि उपज के निर्यात से उपकर को हटाने के लिए सरकार ने कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 व उपज उपकर अधिनियम, 1966 का निरसन करने के लिए संसद में

- भारत निर्माण के अंतर्गत **2009 तक 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिचाई**
- 1.28 करोड़ हेक्टेयर - **वर्ष 2012 तक टपकन व छिड़काव सिंचाई में दस गुना बढ़ोतरी का लक्ष्य।**
- **ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की समीक्षा व विस्तार।**
- **वर्ष 2004-05 में ग्रामीण ऋण उपलब्धता में 43% की बढ़ोतरी** व वर्ष 2005-06 के लिए 22% का उच्च लक्ष्य निर्धारित।
- **1½ वर्ष में 5.57 लाख स्वयंसेवी समूहों को ऋण सुविधा दी गई।**
- **अल्पावधि की ग्रामीण सहकारिता संरचनाओं का पुनःप्रवर्तन करने के लिए 13,596 करोड़ रुपए का पैकेज।**
- **वैट (मूल्यवर्धित कर) के अंतर्गत एकीकृत बाजार का सृजन।**
- **कृषि उपज विपणन समिति अधिनियमों का निरसन करने के लिए राज्यों को तैयार करना।**
- **कृषि-उपज निर्यात उपकर को हटाना।**
- **2 वर्ष में कृषि अनुसंधान व विस्तार परिव्यय 48% बढ़ा दिया गया। (375 करोड़ रुपए)**
- **विस्तार, कृषि संबंधी शिक्षा, गोदामों के निर्माण, विपणन व अवसंरचना से जुड़ी नई स्कीमें प्रारंभ की गई है।**
- **गन्ना किसानों के पुराने बकाया के मुख्य हिस्से का समाशोधन।**

एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी है ताकि निर्यात को विश्व स्तर पर अधिक स्पर्धापूर्ण बनाया जा सके और इसके जरिए मांग में बढ़ोतरी करके कृष्य उपज की अच्छी कीमत प्राप्त करने में सहायता मिले। कपास, बिनौले व चारे को अनिवार्य पण्य में शामिल न करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश्य इनके मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करना व किसानों व उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है।

स्कीमें: सरकार ने कृषि विस्तार सुधारों (विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता), कृषि संबंधी शिक्षा, गांवों में गोदाम बनाने (ग्रामीण भंडारण योजना) व विपणन अवसंरचना व सहायक सेवाओं (कृषि विपणन अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण व मानकीकरण) के लिए नई स्कीमें प्रारंभ की हैं। कार्यनीतिक कृषि अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय निधि का गठन किया गया है।

सहकारी समितियां: सहकारी समितियों के कार्यों में सरकारी नियंत्रण व हस्तक्षेप को न्यूनतम करने, उनके चुनाव, आमसभा की बैठक व लेखापरीक्षा समय से करवाने और सहकारी समितियों के प्रबंधन को अधिक व्यावसायिक बनाने पर बल देने संबंधी एक विधेयक शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा जिससे राज्य कानूनों में एकरूपता लाई जा सकेगी।

बीमा: बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने व्यष्टि बीमा के विनियमों का प्रारूप प्रकाशित किया है और गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी समितियों व व्यष्टि वित्त संस्थानों को व्यष्टि बीमा एजेंट बनने के लिए आमंत्रित किया है।

पिछले वर्षों के गन्ना बकाया का मुख्य हिस्से का परिसमापन कर दिया गया है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष से किए गए उपायों के परिणामस्वरूप यू. पी. ए. सरकार के सता में आने के बाद से अप्रैल 2005 के अंत तक गन्ना बकाया 18% तक कम हो गए हैं।

X. जल प्रबंधन

- **जन जल संरक्षण अभियान** जल संरक्षण कार्य को बड़े पैमाने पर शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा है।
- राज्यों को बाढ़ प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की गई है।
- नदियों को आपस में जोड़ने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। **नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी प्रथम परियोजना के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।**

जल संरक्षण: शीघ्र ही पंचायत स्तर की निधि (जो सीमित अनुमान के अनुसार एक वर्ष में कुछ हजार करोड़ रुपए होगी) से एक जन जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया जाएगा, इससे जल संरक्षण में सुधार होगा। डी पी ए पी व आई डब्ल्यू डी पी - वॉटरशेड विकास के दो कार्यक्रम हैं, जिनके संबंध में समान दिशानिर्देश दिए गए हैं। किसानों द्वारा विशेषकर शुष्क प्रदेशों, सुदूर व जनजातीय क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाले जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण व पुनः स्थापन के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना प्रारंभ की गई है, जिससे जल निकायों सहित नहरों, तालाबों व जलाशयों की भंडारण क्षमता बढ़ेगी और नौ राज्यों के 16 जिलों में चलाई जाने वाली पायलट परियोजना के प्रारंभ होने से वहां की सिंचाई क्षमताओं का पुनः इस्तेमाल किया जा सकेगा। राज्यों से कहा गया कि वे अपनी नगरपालिकाओं को निदेश दें कि उनका स्थानीय निकाय वर्षा-जल संचयन को अपने कार्य का एक भाग बनाएं। इनमें से आठ राज्य तो वर्षा जल संचयन संबंधी कार्य कर चुके हैं, आठ राज्यों ने नगरपालिका कानून में संशोधन करने अथवा कानून बनाने संबंधी कार्रवाई कर ली है।

बाढ़-प्रबंधन: यह विषय राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। इसके बावजूद केंद्र उनकी सहायता करता है। एक कार्यदल ने इसके लिए विशेषकर उत्तरी व पूर्वी राज्यों के लिए अल्प व दीर्घावधि के उपाय सुझाए हैं। खाद्य-निवारण के लिए आबंटन किए गए हैं। प्रस्तावित उत्तर-पूर्व जल संसाधन प्राधिकरण बनाने के लिए भागीदार राज्यों के बीच सहमति बनाने के प्रयास किए गए हैं।

नदियों को जोड़ना: प्रायद्वीप खंड में निर्धारित सभी 14 नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर दी गई है और हिमालय खंड के लिए निर्धारित सभी नदी संपर्कों की रिपोर्टें भी पूरी हो गई हैं या पूरी होने वाली हैं। नदी परियोजना में सबसे पहले केन व बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पार्वती व कालीसिंध नदियों के लिए दोनों के संबंधित राज्यों मध्य प्रदेश व राजस्थान में एक और अनुबंध किए जाने की संभावना है।

XI. शासन संबंधी सुधार और नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) का सुदृढ़ीकरण

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग: इसका गठन सितम्बर, 2005 में किया गया है तथा इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया। आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है।

सूचना का अधिकार अधिनियमः इसे पहले बने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के स्थान पर लागू किया गया है। यह अधिनियम व्यापक है और इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय एवं सरकारी अनुदान प्राप्तकर्ता आदि सभी आते हैं। इसमें कुछेक सूचनाओं को छोड़कर व्यापक रूप से सूचनाएं उपलब्ध करवाकर नागरिकों को काफी सशक्त बनाया गया है। जिन सूचनाओं को छोड़ा गया है यदि उन्हें भी उपलब्ध करवाना नागरिकों के हित में है तो इसे सूचना प्रकट करने से होने वाले नुकसान से बेहतर माना जाएगा। यहां तक कि अब सुरक्षा एजेंसियों को भी मानव-अधिकारों के उल्लंघन या भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में सूचना का खुलासा करना होता है। सरकारी एजेंसियों को भी यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे स्वयं सूचना की जानकारी दें ताकि सूचना प्राप्त करने पर आने वाले खर्च को कम किया जा सके। केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों के रूप में स्वतंत्र अपील तंत्र (मकैनिज्म) तैयार किया गया है, जिसमें विस्तृत रूप से जानकारी देने की बाध्यताओं और कठोर शास्तियों का प्रावधान किया गया है। इससे सूचना प्राप्त करने के अधिकार को और अधिक बल मिला है तथा यह सुशासन का सशक्त माध्यम बन गया है।

ई-शासनः राष्ट्रीय ई-शासन योजना तैयार की गई है। इसमें 25 मिशन मोड परियोजनाएं हैं, जिनमें से कुछ पूरी होने वाली हैं। सरकार ने नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस के गठन को अनुमोदित कर दिया है तथा साथ ही, 3,345 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित निवेश से वर्ष 2007 तक सभी राज्यों में राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क तैयार करने की योजना भी स्वीकृत की है। इस निवेश राशि में भारत सरकार से मिलने वाली 2005 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है। परिणामी बजट 2005-06 के अनुसार, 1028 करोड़ रुपए की कुल धनराशि के निवेश वाले 14 राज्यों के राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं तथा इस धनराशि की पहली किस्त दी जा चुकी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्देशों के अंतर्गत 13,348 जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की स्कीम भी प्रारंभ की गई है। पहले चरण में 3475 न्यायालय शामिल किए जाने हैं।

लोकपाल विधेयकः इस विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा की गई है। मंत्रियों का समूह इस विषय पर विचार विमर्श कर रहा है।

चुनाव सुधारः सरकार ने चुनावों के बारे में राज्य-वित्तपोषण के संबंध में प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की है। जिसे मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है। ये प्रस्ताव भारत के चुनाव आयोग के पास विचारार्थ भेजे जा रहे हैं ताकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों तथा उनके प्रत्याशियों को आंशिक रूप में धन देने तथा वस्तु रूप में सहायता देने के बारे में कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।

- प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन
- **सूचना का अधिकार अधिनियम** के माध्यम से नागरिक (सिविल) समाज को सशक्त बनाना
- राष्ट्रीय ई-शासन योजना का कार्यान्वयन
- चुनाव करवाने के संबंध में राज्य द्वारा धन मुहैया कराने के उपायों को अनुमोदित करना
- कालेधन पर अंकुश रखने के उपाय
- **मुनाफा कमाने वाले लोक उद्यम तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक स्वायत्तता देना**
- **आर.आर.बी तथा ग्रामीण सहकारिताओं की संरचना का पुनरुद्धार**
- श्रम विवरणियों से संबंधित कानून का सरलीकरण
- भूमि संबंधी रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण

कालेधन पर अंकुश लगानाः राजस्व विभाग विशेषज्ञ-समूह की सिफारिशों की जांच कर रहा है। इस समूह का गठन कालेधन तथा संपत्ति का पता लगाने के संबंध में सिफारिश करने के लिए किया गया था। यह आशा की जाती है कि बैंकिंग नकद लेन-देन कर की उगाही, असम्बद्ध व्यक्तियों से बोगस उपहार लेने पर मनाही से संबंधित प्रतिबंध, कतिपय अतिरिक्त क्षेत्रों में स्त्रोत पर कर-कटौती/वसूली के प्रावधान, कर अपवंचन को सुसाध्य बनाने के प्रयोजन से फर्जी प्रविष्टियां करने तथा फर्जी वाउचर जारी करने पर कैद तथा जुर्माने का प्रावधान करने तथा कतिपय विवरणियों को फाइल करने को अनिवार्य बनाने से कालेधन पर रोक लगेगी।

सफल लोक उद्यमों को स्वायत्तताः सरकार ने सफल केंद्रीय लोक उद्यमों (PSE) को अधिक प्रबंधकीय तथा वाणिज्यिक स्वायत्तता दी है। गौण एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश के संबंध में नवरत्न और मिनीरत्न पी.एस.ई. की शक्तियां तथा मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित शक्तियों का प्रत्यायोजन बढ़ा दिया हैं; सरकार ने विलय और अधिग्रहण के संबंध में नवरत्न एवं पीएसई के मिनी रत्नों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। साथ ही नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा पाने के लिए सरकार की गारंटी से संबंधित शर्तों में छूट दी है; मिनी रत्न और अन्य मुनाफा कमाने वाले लोक उद्यमों को पूंजी व्यय उठाने से संबंधित शक्तियों को बढ़ाया गया है; और नवरत्न श्रेणी में सीपीएसई के नाम तुरंत जोड़ने/हटाने के लिए तंत्र तैयार किया गया है।

बैंकः सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रबंधकीय स्वायत्तता से संबंधित अनुदेश जारी किए गए हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विनिर्धारित मतदान अधिकारों की वर्तमान सीमा को हटाने के लिए संसद में संशोधन विधेयक पेश किया जा चुका है। नया शासन संबंधी मानक अपनाने वाले तथा प्रूडेन्शियल विनियमों से आबद्ध आर आर बी पुनः संरचना के लिए सरकार से धन प्राप्त करने के पात्र होंगे। आर आर बी के सुदृढ़ीकरण के लिए आर आर बी अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। अल्पकालीन ग्रामीण सहकारिता के पुररूत्थान की दृष्टि से, तुलनपत्र के समाधान तथा पूंजी-आधार के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्राथमिक कृषि सहकारिता सोसायटी, जिला केंद्रीय सहकारिता बैंक और राज्य सहकारिता बैंकों की वित्तीय स्थिति को स्वीकार्य स्तर पर लाकर उनका पुनः गठन करने के लिए 13, 596 करोड़ रूपए का पैकेज अनुमोदित किया है।

श्रम-विवरणियां: विभिन्न श्रम विधियों के अंतर्गत निर्धारित रजिस्टरों तथा विवरणियों के फार्म सरल बनाने से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया है।

भूमि रिकार्डः भूमि रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण की स्कीम में अब 584 जिलों को शामिल किया गया है। 2005-06 के बजट में, कंप्यूटरीकरण के संबंध में भूमि रिकार्ड का आबंटन दुगुने से भी ज्यादा है। जहाँ वर्ष 2004-05 के दौरान इस संबंध में 59 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया था, वहीं वर्ष 2005-06 में 122 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

XII. केंद्र-राज्य संबंधी मुद्दे

केंद्र-राज्य संबंध आयोग के गठन को अधिसूचित कर दिया गया है तथा अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस आयोग से आशा की जाती है कि यह दो वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। पुनर्गठित अंतरःराज्य परिषद् की बैठक हो चुकी है। परिषद् के सचिवालय ने अनेक नए कदम उठाए है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हो चुकी है तथा केंद्रीय वित्त मंत्री के अधीन समिति का गठन हो चुका है ताकि राष्ट्रीय लघु बचत निधि से राज्यों को दिए गए ऋणों के बारे में और अधिक राहत देने के विषय में जांच की जा सके।

- केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग की स्थापना अधिसूचित
- आईएससी तथा एनडीसी की बैठकें और उनकी सक्रियता बढ़ाना
- **राज्यों के ऋण भार को कम करने के लिए अनेक प्रमुख उपाय करना**
- राज्यों को मिलने वाली खनिज रायल्टी में संशोधन

राज्यों को ऋण भार से राहत देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

(i) अतिरिक्त बाजार ऋण/नए संस्थागत ऋणों के रूप में अल्प ब्याज दर पर ऋण देने वाली संस्थाओं से ऋण के पुनर्वित्त के लिए अनुमति दे दी गई है।

(ii) 10.5% या इससे अधिक ब्याज पर अतिरिक्त बाजार ऋण के लिए नाबार्ड के पुनःवित्त की अनुमति दी गई है।

(iii) सामान्य केंद्रीय सहायता के घटक ऋण के वित्तीयन के लिए 9% ब्याज दर पर केंद्रीय सरकारी ऋणों के स्थान पर 6.0% से 6.5% ब्याज दर पर अतिरिक्त बाजार ऋण का विकल्प दिया गया है।

(iv) दीर्घावधि परिपक्वता और ब्याज की निम्न दर के लाभ मुहैया कराने के लिए सतत (back to back) आधार पर राज्यों को बाह्य सहायता ऋणों के अंतरण के बारे में सम्मति दे दी गई है।

(v) 31.3.05 तक बकाया तथा 31.3.04 तक संविदागत केंद्रीय ऋणों को पुनः निर्धारित करने के लिए ऋण राहत स्कीम तैयार की गई है, जिसके तहत 20 वर्ष के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज की दर पर नए ऋण की योजना उस वर्ष से प्रारंभ की जाएगी जिस वर्ष संबंधित राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व विधान को लागू करेगा।

(vi) बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्य राजस्व घाटे को कम करने के लिए ऋण को बट्टे खाते में जोड़ेगा।

(vii) योजना आयोग ने एनआईपीएफपी का सूत्रपात किया है ताकि राज्य वित्त का अध्ययन किया जा सके और यह रिपोर्ट योजना आयोग के सामने विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

सरकार ने फरवरी, 2005 में एस्बेस्टॉस, डोलोमाईट, लौह अयस्क, चूना पत्थर, चूना कंकर, चूना शैल, गेरू, क्वार्टर्ज, सिलिका, दोमट मिट्टी की रेत तथा स्लेट पर देय खनिज रायल्टी की दरें बढ़ा दी हैं।

इससे राज्यों को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व में 11.16% (96.39 करोड़ रूपए) की वृद्धि की उम्मीद थी। योजना आयोग द्वारा केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तर्क संगत पुनर्गठन/पुनः वर्गीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया और कार्य पूर्ण होने के बाद, राज्यों को स्थानांतरित करने के लिए चिह्नित स्कीमों को निर्णय के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन डी सी) को भेजा जाएगा।

XIII. पंचायती राज

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज से संबंधित अठारह चिह्नित विषयों पर राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के साथ सात राउंड टेबल कांफ्रेंसो का आयोजन किया। पंचायती राज के प्रत्येक विषय को शामिल करते हुए 150 सिफारिशें की गई। पंचायती राज मंत्रालय ने वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया है जिसमें सभी राज्यों की पंचायती राज गतिविधियों, केंद्र प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन, आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है और इसके विचारार्थ विषयों में वित्तीय अंतरण से संबंधित सिफारिशों का कार्यान्वयन भी शामिल है।

- **सभी विषयों पर राज्यों से परामर्श किया गया** और उनके माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- **पंचायतों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि का उपयोग किया जा रहा है।**
- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पंचायतों को केंद्रीय भूमिका**

इस बात पर बल दिया गया कि चिह्नित पिछड़े जिलों के लिए 5000 करोड़ रूपए के वार्षिक आबंटन सहित नए पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि का उपयोग पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यान्वयन और मॉनीटरन के लिए पंचायतों को केंद्रीय भूमिका दी गई है।

XIV. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

दिसंबर, 2005 में **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन** प्रारंभ किया गया और इसका विस्तृत नोट **संलग्नक-IV** में दिया गया है।

XV. पूर्वोत्तर राज्य

कानून और व्यवस्थाः पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वर्ष 2004 और 2005 में पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिकों की हत्या और अपहरण की घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई। सरकार ने उग्रवादी ग्रुपों से हिंसा छोड़ने और बिना शर्त बातचीत करने के लिए आगे आने की अपील की है। एन एस सी एन (आई एम), एन एस सी एन (के), यू पी डी एस, डी एच डी, एन एल एफ टी (एन बी), एन एल एफ टी (के एम के), एन एन वी सी, और एन डी एफ बी ने ऑपरेशन रोकने का करार किया है। एन एस सी एन (के) को छोड़कर इन सभी गुटों के साथ बातचीत की जा रही है। बी एन एल एफ और मिज़ोरम सरकार ने राज्य में ब्रु और रियांग जनजातियों की वापसी के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। बोडो प्रादेशिक परिषद् के चुनाव कराए गए और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने क्षेत्र के लिए 225 करोड़ रूपए की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की है और वर्ष 2004-05 में 100 करोड़ रूपए जारी किए गए। उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बांगलादेश, म्यानमार और भूटान के साथ राजनयिक प्रयास किए गए। असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के अतिरिक्त मेद्यालय और अरूणाचल प्रदेश के लिए भी एस आर ई प्रतिपूर्ति सुविधा दी गई है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दी जा रही है और संशोधित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 100% केंद्रीय निधीयन के लिए सात पूर्वोत्तर राज्यों का चयन किया गया हे, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय निधियों का स्तर बढ़ा है। सरकार ने अप्रैल, 2005 से केंद्र प्रायोजित आत्मसमर्पण और पुनर्वास स्कीम में संशोधन किया है जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को 36 माह तक 2000 रूपए प्रति माह की वृत्तिका दी जाती है और आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति के नाम से बैंक में तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में तात्कालिक अनुदान दिया जाता है और जिसे आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति तीन वर्ष के बाद निकाल सकता है बशर्ते इस दौरान उसका आचरण अच्छा रहे।

- **कानून और व्यवस्था में सुधार,**
- उग्रवादी गुटों के साथ बातचीत जारी
- **ब्रु समस्या का समाधान** किया गया
- **सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को अधिक सहायता**
- **आत्मसमर्पण पैकेज में सुधार**
- **1310 कि.मी. सड़कों के लिए विशेष कार्यक्रम**
- **सिलचर, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड के लिए रेल संपर्क में सुधार** के लिए कुमार घाट अगरतला और जिरिबाम तुपुल लाइन बिछाने तथा लुमडिंग सिलचर गेज परिवर्तन कार्य प्रारंभ
- निजी क्षेत्र द्वारा **त्रिपुरा में 750 मेगावाट गैस आधारित संयंत्र के कार्य का प्रारंभ, 600 मेगावाट कामेंग परियोजना अनुमोदित; 2000 मेगावाट लोअर सुबानसिरि परियोजना पुनः प्रारंभ,** 100% ग्रामीण वैद्युतीकरण प्रारंभ, असम गैस क्रैकर परियोजना का अनुमोदन अंतिम स्तर पर
- **पूर्वोत्तर परिषद् का पुनरुद्धार**

सड़कः सरकार ने क्षेत्र में 1310 कि.मी. लंबी सड़क के निर्माण, चौड़ीकरण और सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम को सिद्धांत रूप से अनुमोदित किया है। इस कार्य को मार्च 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है और उसके लिए 4618 करोड़ रूपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

रेलमार्गः सिलचर और त्रिपुरा और मणिपुर की राजधानियों तथा नागालैंड के साथ ब्राड गेज रेल संपर्क बनाने के लिए कुमारघाट - अगरतला और जिरिबाम-तुपुल (इंफाल रोड) के बीच नए रेल मार्ग बिछाने तथा लुमडिंग-सिलचर रेलमार्ग के गेज परिवर्तन का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसकी कुल अनुमानित लागत 3450 करोड़ रूपए है।

बिजली: असम में सलाकाटी में एन.टी.पी.सी. का 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाला 500 मेगावाट क्षमता का ताप बिजली घर 2009 में शुरू हो जाएगा। इस संयंत्र के लिए कोयले की व्यवस्था करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड असम में मार्घेरिटा में कोयले का उत्पादन 11 लाख टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 2013 तक 31.3 लाख टन करेगा। इस पर 3,000 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

विद्युतः प्रधानमंत्री ने सितंबर, 2005 में त्रिपुरा में 750 मेगावाट गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र की नींव रखी जिसमें अनुमानित निजी क्षेत्र निवेश लगभग 3900 करोड़ रूपए है। 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना स्वीकृत की गई, जिसकी अनुमानित लागत 2497 करोड़ रूपए हैं और अक्तूबर, 2005 तक 286 करोड़ रूपए खर्च की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक आदेश हटाए जाने के बाद अक्तूबर, 2004 में 2000 मेगावाट सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना का कार्य पुनः प्रारंभ किया गया और 6285 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत में से अक्तूबर, 2005 तक 1039 करोड़ रूपए खर्च हुए। वर्ष 2005-06 के बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया और वर्ष 2010-11 तक परियोजना पूरी हो जाने की उम्मीद है। भारत निर्माण के भाग के रूप में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत वर्ष 2009 तक शेष ग्रामों तक बिजली पहुँच जाएगी। असम गैस क्रैकर परियोजना स्वीकृति के अंतिम चरण में है।

औद्योगिक संवर्धनः औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 में संशोधन रहा है। औद्योगिक एस्टेट में आधारिक संरचना के लिए सहायता के स्तर में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श के माध्यम से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधारिक संरचना के विकास संबंधी स्कीम पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग विस्तृत व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

पूर्वोत्तर परिषद्ः भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद् पुनरुद्धार समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री को पूर्वोत्तर परिषद् का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है और तीन विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्त किया गया है। पूर्वोत्तर परिषद् के सचिवालय में खाली अनेक वरिष्ठ पदों को भर दिया गया है।

XVI. जम्मू और कश्मीर

नवंबर, 2004 में प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के लिए पुनर्गठन योजना की घोषणा की थी और जून, 2005 में लद्दाख क्षेत्र की यात्रा के दौरान उन्होंने इसका विस्तार किया। पुनर्गठन योजना के अंतर्गत लगभग 24000 करोड़ रूपए के निवेश की योजना है और इसमें आधारिक संरचना के सशक्तीकरण तथा अन्य विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा जम्मू और कश्मीर के तीनों क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए 67 परियोजना/स्कीमों को शामिल किया गया है।

- 24,000 करोड़ रूपए की **पुनर्गठन योजना** कार्यान्वित की जा रही हैः कई कार्य पूर्ण किए गए।
- **उधमपुर रेलमार्ग में यातायात प्रारंभ** और श्रीनगर रेलमार्ग बिछाने का कार्य जारी
- **भारी संख्या में पर्यटकों का आगमन**

आर्थिक आधार संरचना का विस्तारः दो जिलों के लिए उरी-II विद्युत परियोजना और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 226 माइक्रो -जलविद्युत परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है। बागलिहर परियोजना के लिए 630 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जा रही है। नीमू-पदम-दार्चा सड़क कार्य का भी अनुमोदन किया गया है। उरी-एलओसी सड़क को चालू कर दिया गया है। श्रीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है और 78 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से सुधार किया जा रहा है। कारगिल और श्रीनगर के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद् को लेह और लद्दाख के लिए क्रमशः 7 करोड़ और 18 करोड़ रूपए की संयुक्त सहायता अनुदान राशि भी जारी की गई है। अनुदान की इस राशि से कई आधारभूत परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था में विस्तारः 14 नए कॉलेज और 9 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। जम्मू और कश्मीर के शेष जिलों के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान का अनुमोदन किया गया है। 19 आई सी डी एस परियोजनाओं और 6,817 आंगनवाड़ी केन्द्रों को मंजूरी दी गई है ताकि जनसंख्या मानदंडों के अनुसार प्रत्येक बस्ती में एक केन्द्र खोला जा सके। इस राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शामिल किया गया है।

रोजगार और आय : सृजन को महत्व देनाः भारत सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में संगत पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं। आई सी डी एस परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों को मंजूरी देकर लगभग 14, 000 रोजगार सृजित किए गए हैं और कई हजार नियुक्तियाँ की गई हैं तथा शेष नियुक्तियों के संबंध में कार्रवाई की जा रही हैं। अगले पांच वर्षों में लगभग 5, 000 स्थानीय युवकों को रोजगार देने के लिए पांच नई भारतीय रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी गई है और राज्य से इन बटालियन में और केंद्रीय पैरा-सैन्य बलों में भर्ती करने की कार्रवाई की जा रहीं है। आईटी/बीपीओ क्षेत्र के लिए कई सौ विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और 40 से अधिक प्रशिक्षित विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में नौकरी दी गई है। पर्यटन उद्योग के 87 कार्मिकों को क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सौ से अधिक विद्यार्थियों के लिए खाद्य एवं पेय सेवा, भोजन पकाने, गृह-व्यवस्था और फ्रंट ऑफिस कार्यों में एक-वर्ष का दक्षता विकास पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण लेने के बाद कुछ प्रशिक्षित लोगों ने एग्री क्लिनिक (agri-clinics) भी स्थापित किए हैं। डल झील के संरक्षण की परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। चार पर्यटन विकास प्राधिकरणों और पांच पर्यटन ग्रामों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।

विस्थापित लोगों और उग्रवाद का शिकार हुए लोगों के परिवारों को राहत और/अथवा पुनर्वास सुविधा देनाः अखनूर तहसील के 6072 सीमावर्ती प्रवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए 59.18 करोड़ रूपए के खर्च की

स्वीकृति दी गई है और राशि जारी कर दी गई है। पुनर्वास परिषद् को 3 करोड़ रूपए की अतिरिक्त परिव्यय की राशि भी जारी की गई है। शिविर में रहने वाले सभी कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो कमरे का मकान देने का अनुमोदन किया गया है।

पुनर्निर्माण योजना से इतर कार्यक्रमः उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेलवे लाइन शुरू की जा रही है और प्रधानमंत्री ने 13.4.05 को यात्रियों की आवाजाही के लिए जम्मू-उधमपुर खंड का उद्‌घाटन किया था। जम्मू तवी-जालंधर रेलवे लाइन को दोहरा (डबल) करने का काम कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ने जून 2005 में लद्दाख क्षेत्र की विद्युत संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए नीमो बाजगो और छुटक जल विद्युत परियोजनाओं (89 मे.वा.) की नींव रखी थी। हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें ऊन प्रौद्योगिकी मिशन, पशमीना का संवर्धन, पारंपरिक हस्तशिल्प विकास, कालीन के निर्यात के लिए समन्वित विकास पैकेज, हस्तशिल्प (कालीन से भिन्न वस्तुएं) के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समन्वित विकास पैकेज, हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ करना, कनी जामावार शालों को पुनः प्रचलन में लाना, रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का विकास और बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना शामिल हैं। पर्यटन के विकास के लिए हाउसबोट मालिकों को उनकी नौकाओं की मरम्मत करने और काम में लाने योग्य बनाने के लिए सुलभ ऋण दिया गया, होटल मालिकों को होटल की मरम्मत और कमरों की पुनः साज-सज्जा करने के लिए सुलभ ऋण दिया गया, शिकारा वालों को शिकारे की मरम्मत करने और शिकारे को बेहतर बनाने के लिए पूंजीगत अनुदान दिया गया तथा पोनी वालों को नई पोनी खरीदने के लिए सुलभ ऋण दिया गया। इन स्कीमों के तहत 10,000 से भी अधिक लोगों को लाभ पहुँचा है। पर्यटकों की संख्या वर्ष 2002 में 0.29 लाख थी जो वर्ष 2003 में बढ़कर 1.89 लाख और वर्ष 2004 में 3.94 लाख (और 2005 में इससे भी अधिक) हो गई है।

XVII. औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन

- राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद् और निवेश आयोग की स्थापना और कार्य प्रारंभ
- **वस्त्र उद्योग संबंधी पैकेज से मल्टी-फाइबर समझौते के बाद के समय में बेहतर कार्य निष्पादन में मदद।**
- राष्ट्रीय जूट नीति अपनाई गई और भारतीय जूट निगम को पुनर्गठित किया गया।
- दूरसंचार, नागर विमानन और निर्माण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में छूट, प्रेस विज्ञप्ति 18 को अधिसूचित करना; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा की गई।
- **की गई कार्रवाई के फलस्वरूप बीमा संस्थान परिसंघ में रिकार्ड निवेश और बेहतर आर्थिक निष्पादन।**

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद् और निवेश आयोग की स्थापना की गई और कार्य शुरू किया गया।

वस्त्र उद्योग के विकास के लिए और मल्टी-फाइबर समझौते (एम एफ ए) के बाद के समय में विश्वव्यापी (अंतरराष्ट्रीय) प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए उसे तैयार करने हेतु प्रमुख पैकेज की व्यवस्था की गई। वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न मशीनरी और अतिरिक्त पुरजों पर मूल सीमा - शुल्क को कम कर दिया गया है, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम के तहत आबंटित राशि (टी यू एफ एस) बढ़ा दी गई है, संसाधन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई है, वस्त्र उद्योग से संबंधित मशीनरी की मदों, कच्चे माल और अतिरिक्त पुर्जों पर शुल्क घटा दिया गया है और निटवेअर और बुने हुए कपड़ों (नीटिड फैब्रिक) को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बुनकरों की उन्नति, उनकी स्वास्थ्य-सुरक्षा और जीवन बीमा पर खर्च करने के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि कपास प्रौद्योगिकी मिशन से उत्पादकता में वृद्धि होगी।

जूट की मांग को बढ़ावा देने और जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय जूट नीति की घोषणा की गई है। भारतीय जूट निगम (कारपोरेशन) का पुनर्गठन किया गया है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन के लिए कार्य योजना तैयार की है। चूँकि यह योजना व्यापक है और इसमें विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है, इसलिए सचिवों की समिति के माध्यम से मंत्रालयों के साथ परस्पर परामर्श करने के बाद योजना से संबंधित विचारों को कार्यरूप दिया जा रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की आम अनुमति से 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। विदेशी सहभागिता अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने में छूट दी गई है और प्रेस विज्ञप्ति 18 को अधिसूचित किया गया है। नवंबर 2004 में नागर विमानन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40% से 49% की वृद्धि अधिसूचित की गई है। दूर-संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की अधिसूचना भी जारी की गई है। नगरों, निवास स्थलों और निर्मित आधार संरचना के विकास तथा निर्माण विकास परियोजनाओं के लिए 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीधे ही मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया है।

बीमा संस्थान परिसंघ को प्रोत्साहित करने और वित्तीय प्रणाली में सट्टा-पूंजी के प्रवाह को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

(i) बीमा संस्थान परिसंघ में पंजीकरण की प्रक्रिया और कार्य-प्रणाली को सरल बनाना और उसमें शीघ्रता लाना।

(ii) बीमा संस्थान परिसंघ की ऋण निधि में निवेश की उच्चतम सीमा को 1.75 बिलियन डालर तक बढ़ाना।

(iii) वर्ष 2005-06 में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि बीमा संस्थान परिसंघ को यह अनुमति दी गई है कि वह घरेलू बाजार में अपने उत्पादों का व्यापार करते समय सेबी द्वारा यथानिर्धारित, नकद या अन्यथा, उचित जमानत जमा करे।

(iv) विशेषज्ञ दल ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह उल्लेख है कि बीमा संस्थान परिसंघ को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है और अन्य संस्तुत विनियामक उपायों के अलावा सट्टा-पूंजी के प्रवाह के लिए पूंजी बाजार को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विनियामक ढांचे में आवश्यक उपाय करने की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

सेबी डाटा के अनुसार, अप्रैल 1992 से लेकर मार्च, 2004 तक संचयी एफ आई आई निवेश 25.75 बिलियन अमेरिकी डालर था जबकि अप्रैल 2004 से अक्तूबर, 2005 तक यह 13.52 बिलियन अमेरिकी डालर था।

XVIII. असंगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योग

असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग का गठन सितंबर 2004 में किया गया जिसमें परामर्शदात्री निकाय तथा रक्षक के रूप में कार्य करने तथा सरकार को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष की अवधि दी गई है। इसके विचारार्थ विषयों में असंगठित क्षेत्र से संबंधित व्यापक रूप से समस्त मुद्दे सम्मिलित है तथा इसने समस्त विचारार्थ विषयों पर प्रारंभिक कार्य किया है।

सरकार ने 30 करोड़ से अधिक संख्या वाले असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करने के लिए कानून को अधिनियमित करने की बाबत असंगठित क्षेत्र कार्यकर्ता विधेयक लाने का प्रस्ताव रखा है।

- **असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग का गठन** एवं कार्य संचालन
- **असंगठित क्षेत्र कार्यकर्ता विधेयक लाना**
- केवीआईसी की पुनरीक्षा के लिए शीघ्र विधेयक लाना
- **अति लघु उद्यमों और एस एम ई के विकास के लिए तैयार किया जा रहा विधेयक**

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 जिसका लक्ष्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्य की समीक्षा करना है, संसद में प्रस्तुत किया गया है तथा विधेयक में प्रारूप संशोधन संसद की स्थायी समिति से संबंधित विभाग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं।

अति लघु, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों के विकास के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के अंतिम चरण में है।

XIX. अवसंरचना

पहल-कार्यों से संबंधित काफी संख्या में अवसंरचनाएं ग्रामीण विकास, पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन पर दिए गए खण्डों में दिखाई गई हैं। अन्य पहल-कार्य नीचे दिखाए गए हैं। अवसंरचना संबंधी पहल-कार्यों की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय **अवसरंचना समिति** द्वारा समीक्षा की जा रही है तथा दिशानिर्देश दिए जा रहे हैं और एक विस्तृत टिप्पणी **अनुबंध-V** में दी गई है।

क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई राष्ट्रीय विद्युत नीति की घोषणा की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र से अनुमोदित इकाईयों में आपूर्ति के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर बिजली संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं जिसमें प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्रभावी, उच्च क्षमता वाली बिजली उपलब्ध कराने के लिए पूंजीगत उपकरण तथा कच्चे माल पर ड्यूटी में छूट दी जाएगी।

दूरसंचार क्षेत्र में एफ डी आई पर सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। अक्तूबर 2004 में एक ब्राडबैंड की घोषणा की गई थी तथा सितंबर 2005 तक 187 शहरों में ब्राडबैंड की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं।

टाउनशिप, मकान, निर्मित अवसंरचनाओं तथा निर्माण विकास परियोजनाओं के विकास के लिए स्वचालित माध्यम के अंतर्गत 100% तक एफ डी आई की स्वीकृति दी गई है। (अनुबंध-V के परिशिष्ट 1 पर सूची)।

- **अवसंरचना संबंधी पहल-कार्यों पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना समिति**
- **उपयुक्त नई राष्ट्रीय विद्युत नीति**
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम में अवसंरचना निर्माण के लिए बड़े प्रोत्साहन दिए गए हैं।**
- **निर्माण में 100% एफ डी आई की स्वीकृति दी गई**
- **चेन्नै के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र की घोषणा की गई।**

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसरंचना के विकास की लागत में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स तथा केन्द्रीय बिक्री कर से विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवेलपर द्वारा खरीदी गई समस्त सामग्री तथा सेवाओं में छूट से काफी कमी आई है।

2004-05 के बजट में चेन्नै के लिए कोरोमण्डल तट के निकट प्रथम विलवणीकरण संयंत्र की घोषणा की गई थी जिसकी क्षमता 300 मिलियन लीटर प्रतिदिन तथा लागत 1,000 करोड़ रू. थी। कोर्ट से स्थगन आने से कार्य शुरू होने में विलंब हो गया था। स्थगन आदेश हटा दिया गया था तथा यह आशा की जाती है कि कार्य शुरू हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी रीतियां तैयार की जा रही हैं। ऐसे ओर प्रस्तावों की जांच की जा रही है अथवा तैयार किए जा रहे हैं।

XX. विदेश संबंधी मामले

विदेश संबंधी मामलों पर एक विस्तृत टिप्पणी **अनुबंध-VI** पर दी गई है।

XXI. अन्य पहल-कार्य

राज्य बिजली बोर्डों को पुनः गठित करने के लिए और समय मांगने वाले राज्यों को अतिरिक्त समय दिया गया है। विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 संसद में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों सहित समस्त क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जवाबदेही मांगी गई है तथा क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की अपेक्षा को समाप्त करने के लिए कहा गया है।

आंतकवाद के विरूद्ध पर्याप्त विधिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हुए पोटा को निरस्त कर दिया गया है।

पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। पूर्व-सैनिकों के लिए एक-रैंक एक-पेंशन के मामले से संबंधित प्रस्तावों को उन मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप प्रदान किया गया है जिन्होंने इस मामले की जांच की थी।

- राज्य विद्युत बोर्डों को भंग करने के लिए राज्यों को समय दिया जाएगाः बिजली पर क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की अपेक्षा को हटाने के अतिरिक्त, **केन्द्र की विद्युतीकरण जवाबदेही देने के लिए भी प्रस्तुत विधेयक।**
- **पोटा निरस्त किया गया**
- **पूर्व सैनिक विभाग का गठन**
- **तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया**

प्रतिवर्ष 9% ब्याज दर वाली एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की गई है।

तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)

1. हमारी सरकार ने आय, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी असमानता को दूर करने का वचन दिया था। ये तीनों एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। यदि इनसे किसी एक का भी समाधान होता है तो उसका प्रभाव दूसरी समस्या के समाधान पर पड़ेगा। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी असमानता को दूर करने के लिए 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) की शुरुआत की।

2. सरकार ने समग्र स्वास्थ्य और जनस्वास्थ्य की ओर से अपना ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान कुछेक बीमारियों पर केंद्रित किया है। हमारा जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम था वास्तव में वह सही नहीं था। वह इस ढंग से बनाया गया था कि उससे हमारे संसाधनों का दुरुपयोग और ऊर्जा का क्षरण हो रहा था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने संबंधी पद्धति में आमूल परिवर्तन लाना है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मूल घटकों में प्रत्येक गांव में 'आशा' नामक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्था की स्थापना करना, ग्राम स्वास्थ्य सेवा संबंधी योजनाएं बनाना जो अंतर-क्षेत्रीय हों, स्वास्थ्य संबंधी कार्य की शुरुआत करने के लिए ए एन एम/बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए संयुक्त निधि का प्रावधान करना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार करना ताकि वे अच्छे ग्रामीण अस्पताल साबित हो सकें और अंत में समन्वित जिला स्वास्थ्य योजना तैयार करना जिसमें स्वास्थ्य संबंधी कार्य योजना के साथ-साथ स्वच्छ जल, साफ-सफाई और पोषण आदि जैसे स्वास्थ्य संबंधी कारकों पर कार्य करना शामिल है।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमने भारत की जनता के स्वास्थ्य संबंधी मानक (आई पी एच एस) निर्धारित किए हैं। ये वे मानक हैं जिनसे ग्रामीण जन-स्वास्थ्य अस्पतालों में सुधार होगा। इसमें अस्पतालों आदि के सामुदायिक नियंत्रण सहित कार्मिक उपस्कर प्रबंधन प्रणालियों को शामिल किया गया है।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य जिला स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करना है। हम शीघ्र ही जिला स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण कर लेंगे और रोगों का पता लग जाने पर उन्हें दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए आरंभ किए गए सर्व शिक्षा अभियान की भांति निधि प्रदान करेंगे। जिला स्तर पर संगठित कार्य करने से स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों के साथ-साथ स्वच्छ पेय जल, स्वच्छता, पोषण आदि कार्यों को समेकित करके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जा सकेगी।

6. जब इस मिशन की घोषणा की गई थी तो इसे व्यापक समर्थन मिला था क्योंकि सभी चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान दिया जाए। इस मिशन को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर के नेताओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी एकल संस्था की सांस्थानिक व्यवस्था को नया रूप दे दिया गया है और स्वास्थ्य संबंधी एक ही राज्य स्तरीय संस्था कार्यरत है। अगले वर्ष इस मिशन के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जाएगी जिसे समय सीमा के भीतर खर्च करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य सेवाओं से भिन्न हैं और इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि एक स्वस्थ शक्ति ही अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर सकती है। इसलिए जिस कार्य नीति में निर्धारक तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया

हो, उसमें बेहतर कार्य के लिए अपेक्षा की जाती है। परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। स्वास्थ्य संबंधी असमानता काफी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की बहुत कमी है। इसलिए स्वास्थ्य बीमा जैसे विकल्प भी मुश्किल है। परंतु यदि हम कुछ अलग करने की क्षमता रखते हैं तो हमें केवल यह एक ऐसा कार्य होगा जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को कम करने वाले आम सृजन कार्यक्रमों के अलावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकेंद्रीकरण की जो योजना हमने बनाई है वह कार्य कर रही है।

अनुबंध-II

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 - सूत्री कार्यक्रम : समीक्षा तथा सुधार की आवश्यकता

प्रस्तावना

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मई 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। यह कार्यक्रम त्रिस्तरीय दृष्टिकोण पर आधारित है, (I) सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा सांप्रदायिक दंगों के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटना, (II) केंद्रीय तथा राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना तथा (III) अन्य उपाय, जैसे कि विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की भागीदारी, धार्मिक स्थलों, वक़्फ़ संपत्ति का रख-रखाव और विकास तथा अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करना आदि। इस कार्यक्रम का स्वरूप मार्गदर्शी है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

2. लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम, सरकारी आदेशों, दिशा - निर्देशों तथा परामर्शों को जारी करना मात्र है अथवा ऐसे उपाय करना है जिनसे अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं होता। मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी ऐसे अधिकांश दिशा-निर्देशों और परामर्शों के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती।

15 सूत्री कार्यक्रम में सुधार

3. इस कार्यक्रम की इतनी आलोचना होने के कारण ही संभवतः भारत के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी 1992 को संसद में अपने संबोधन में यह घोषणा की थी कि 15 सूत्री कार्यक्रम में सुधार किया जाए जिससे कि इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन, कार्यक्रम में सुधार के कार्य को पूरा करने के प्रयास में गंभीरता का अभाव होने के कारण यह मामला अभी तक लंबित है तथा इस पर वास्तव में कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है।

4. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम का पुनःआकलन करने से संबंधित किसी भी गंभीर प्रयास में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट स्कीमें तथा कल्याण संबंधी कार्य निम्नलिखित मापदण्डों को पूरा करते हों:

- सामान्य दिशानिर्देश, सदाशयता के कथन अथवा कार्य-बिंदु, जिनका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों या राज्य सरकारों को मात्र परामर्श देना है, को 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम में सुधार करते समय ऐसे कार्यक्रमों अथवा स्कीमों को शामिल किया जाना चाहिए जिनसे अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन दूर हो सके।
- जहां तक संभव हो, केवल ऐसी स्कीमों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके संबंध में स्पष्ट रूप से वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें तथा जिन्हें पुनःराज्यवार तथा ज़िलावार विभाजित किया जा सके ताकि उनका प्रभावी मानीटरन किया जा सके।

- यथासंभव फिलहाल 15 सूत्री कार्यक्रम में सुधार करते समय, जहां तक संभव हो, किसी नई कल्याण स्कीम को शुरू नहीं किया जाना चाहिए। इसकी बजाय कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उपयुक्त मौजूदा स्कीमों की पहचान की जानी चाहिए। इस समय उद्देश्य चयनित मौजूदा स्कीमों के ढांचे में अल्पसंख्य उप-योजना का विकास करना है। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण देने अथवा सरकारी संगठनों में नियोजन संबंधी सुझाव प्रस्तुत करने वाले किसी भी उपाय को 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

- लेकिन भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट तथा साथ ही न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्र की अध्यक्षता में धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक रूप से तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का कल्याण करने से संबंधित उपायों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्थिति की गंभीर रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता तब होगी जब मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के विशिष्ट मुद्दों का निवारण करने के लिए नई विकासात्मक स्कीमों को तैयार करने पर विचार करना जरूरी हो जाए।

5. ऊपर सुझाए गए पैरामीटरों के अलावा 15 सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि प्रत्येक कार्यक्रम/स्कीम के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष रूप से प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय की अखिल भारतीय आबादी के अनुपात में वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य अलग-अलग हों। अतः आगे इन लक्ष्यों को प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी के अनुपात प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए राज्यवार बांटा जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक राज्य में उस समूह की आबादी के अनुपात में उस लक्ष्य समूह को वह लाभ अवश्य मिले।

नया 15 सूत्री कार्यक्रमः अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यसूची

6. उपर्युक्त पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए उक्त विकास संबंधी स्कीमों की एक ऐसी सर्वांगपूर्ण विभागवार सूची बनाने का कार्य किया गया, जिसमें से प्रत्येक में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के मुद्दे दिए गए हैं, इससे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए उपयुक्त स्कीमें चुनी जा सकती हैं।

7. इसके अलावा, विकास संबंधी स्कीमों की सर्वांगपूर्ण सूची में से स्कीमों का एक उपयुक्त संग्रह चुना गया है जोकि **"अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम"** के **परिशिष्ट-I** में दिया गया है। इस कार्यक्रम में ऐसी स्कीमें शामिल की गई हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़ेपन के मुद्दे दिए गए हैं और जिनका विशिष्ट लक्ष्य ऐसे समुदायों का सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक उत्थान करना है।

8. यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के लिए उपर्युक्त प्रत्येक स्कीम में पृथक वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें आगे विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है। इसके अलावा, इन स्कीमों के कार्यान्वयन का गहन मॉनीटरन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में अल्पसंख्यक समुदायों को इनका लाभ मिल रहा है।

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रस्तावित नए 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए सरकार के अनुमोदनार्थ केबिनेट नोट को अंतिम रूप दे रहा है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े कतिपय मुद्दों का उल्लेख करते हुए मई 1983 में एक पत्र मुख्य मंत्रियों को लिखा था। इस पत्र में ऐसे 15 विभिन्न पहलू शामिल किए गए थे जिन्हें सामान्यतः प्रधानमंत्री के 15 - सूत्री कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने 28 अगस्त 1985 को सभी मुख्यमंत्रियों नाम लिखे पत्र में इन मुद्दों को दोहराया था।

अतः अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान से जुड़े मुद्दों पर सुस्पष्ट रूप से ध्यान देने और कार्रवाई करने के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करने और नया रूप देने की आवश्यकता महसूस की गई है। सांप्रदायिक दंगों को रोकने और ऐसे दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने संबंधी मुद्दों को इस संशोधित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है, लेकिन पिछड़े अल्पसंख्यकों के विकास से गहन रूप से जुड़े अतिरिक्त मुद्दों, विशेष रूप से रोजगार उपलब्ध कराने, शैक्षिक अवसरों में सुधार लाने और बेहतर जीवनयापन स्थितियों को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त के आधार पर **"अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम"** को निम्नानुसार तैयार किया गया है:

I शिक्षा के अवसर बढ़ाना

शैक्षिक पिछड़ापन उन प्रमुख कारणों में से एक है। जिसके कारण किसी समुदाय विशेष के लोग हमेशा गरीब और सुविधाओं से और वंचित रहते हैं। परिणामस्वरूप शिक्षा के अवसर बढ़ाकर किसी समुदाय के पिछड़ेपन की समस्या दूर की जा सकती है।

(1) एकीकृत बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) की समान उपलब्धता

एकीकृत बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) स्कीम का लक्ष्य आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अनुपूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच निर्देश सेवा, प्राक् विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा जैसी सेवाएं मुहैया करके निर्धन वर्गों के बच्चों और गर्भवती /दूध पिलाने वाली माताओं का संपूर्ण विकास करना है। कुछ आई सी डी एस परियोजनाएं और आंगनवाड़ी केन्द्र अल्पसंख्यक समुदाय की धनी आबादी वाले खण्डों /गांवों में भी स्थापित किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस स्कीम का लाभ उक्त समुदायों को भी समुचित रूप से मिल रहा है।

(2) स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराए जाने में वृद्धि

किसी समुदाय विशेष के बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे सुनिश्चित तरीका यह है कि उन इलाकों/गांवों में स्कूल खोले जाएं जहां उस समुदाय के लोग अधिक रहते हैं। सर्व-शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा इसी प्रकार की अन्य सरकारी योजनाओं के अधीन देशभर में विभिन्न इलाकों/गांवों में नए प्रारंभिक स्कूल खोले गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन इलाकों/गांवों में अल्पसंख्यक समुदायों के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां ऐसे स्कूलों का एक निश्चित प्रतिशत हो।

(3) **उर्दू सिखाने के लिए और अधिक संसाधन**

उर्दू काफ़ी लोगों की मातृभाषा है, किंतु इस भाषा को सिखाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जिन प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में उर्दू-भाषी लोगों की संख्या यदि एक चौथाई भी है तो ऐसे स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

(4) **मदरसा-शिक्षा का आधुनिकीकरण**

क्षेत्र-सघन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केंद्रीय योजना स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा-सुविधा और मदरसा-शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए संसाधनों की व्यवस्था की गई है। इस आवश्यकता के महत्व को देखते हुए, इस कार्यक्रम को पर्याप्त सुदृढ़ बनाया जाएगा और इसका कार्यान्वयन अधिक कारगर ढंग से किया जाएगा।

(5) **अल्पसंख्यक समुदायों के होनहार विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति**

यह बात महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यक समुदायों के होनहार छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में गरीबी आड़े न आए। अतः अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए एक योजना बनाई जाएगी और क्रियान्वित की जाएगी।

(6) **मौलाना आज़ाद एड्युकेशन फाउंडेशन के माध्यम से शैक्षिक सुविधाओं को बेहतर बनाना**

मौलाना आज़ाद एड्युकेशन फाउंडेशन की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह संस्था स्कूलों की स्थापना और विस्तार, प्रयोगशाला के उपस्करों और फर्नीचर की खरीद, छात्रावास के भवनों के निर्माण या व्यावसायिक/ तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अनुदान देती है। सरकार फाउंडेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी ताकि वह अपने क्रियाकलापों (गतिविधियों) का विस्तार और अधिक कारगर ढंग से कर सके।

II. आर्थिक कार्यों तथा रोजगार में समुचित भागीदारी

किसी भी राष्ट्र का पूर्ण विकास तभी संभव है जब उस राष्ट्र के सभी समुदायों और वर्गों को आर्थिक और रोज़गार के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। जब एक या एक से अधिक समुदाय पिछड़ने लगते हैं और धीरे-धीरे हाशिये पर जाने लगते हैं उनके लिए कुछ सकारात्मक उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार अपने कार्यक्रमों को इन समुदायों पर केंद्रित करे और उनके लक्ष्य निर्धारित करे।

(7) **गरीबों के लिए स्व-रोजगार और मज़दूरी पर रोज़गार**

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख स्वरोज़गार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सहायता-प्राप्त गरीब परिवारों को बैंक ऋण देकर तथा सरकारी आर्थिक सहायता देकर आय अर्जन करने वाली परिसंपत्तियां दिलाकर गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। इस कार्यक्रम का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों को भी मिलना चाहिए। इसलिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का एक निश्चित प्रतिशत ग्रामीण

क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली अल्पसंख्यक समुदायों के हिताधिकारियों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ख) शहरी क्षेत्रों के लिए समकक्ष स्व-रोज़गार कार्यक्रम **स्वर्णजयंती शहरी रोज़गार योजना** है। इसके दो मुख्य घटक हैं - शहरी स्व-रोज़गार कार्यक्रम और शहरी मज़दूरी रोज़गार कार्यक्रम। इन दोनों घटकों के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लाभ के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(ग) संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना का उद्देश्य स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी पर अतिरिक्त रोज़गार मुहैया कराना भी है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित राशि का कुछ प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। साथ ही आबंटित राशि का कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय बहुल गाँवों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए निर्धारित किया जाएगा।

(8) तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का उन्नयन

अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोग निम्न -स्तरीय तकनीकी कार्य में लगे हैं अथवा दस्तकार के रूप में अपनी जीविका कमाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने से उनके कौशल और उनकी आय- अर्जन क्षमता भी बढ़ेगी। अतः सभी नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय बहुल क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों को 'उत्कृष्टता केंद्रों' के रूप में विकसित किया जाएगा और उनका चयन भी इसी आधार पर किया जाएगा।

(9) आर्थिक-कार्यों के लिए ऋण सहायता में वृद्धि

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह निगम वर्ष 1994 से कार्यरत है। सरकार एन एम डी एफ सी को अधिक से अधिक ईक्विटी सहायता देकर सुदृढ़ बनाने के लिए कटिबद्ध है ताकि यह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।

(ख) स्व-रोजगार शुरू करने और उनके अनुरक्षण के लिए बैंक ऋण अनिवार्य है। स्वदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए निवल बैंक ऋण का 40% लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अन्य ऋणों के साथ -साथ कृषि ऋण, लघु उद्योग एवं छोटे व्यवसायों के लिए ऋण, फुटकर व्यापार, व्यवसाय और स्व-रोजगार में लगे व्यक्तियों को ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण और लघु ऋण शामिल हैं। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले सभी प्रकार के ऋणों का समुचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए रखा गया हो।

(10) **राज्य और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती**

(क) राज्य सरकारों को सुझाव दिया जाएगा कि वे पुलिसकर्मियों की भर्ती में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों का विशेष ध्यान रखें। इस प्रयोजनार्थ प्रवर समिति में इस समुदाय का प्रतिनिधि होना चाहिए।

(ख) केंद्र सरकार भी केंद्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती में इसी प्रकार का कदम उठाएगी।

(ग) रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों की भर्ती करने पर विशेष ध्यान दिया गया हो।

(घ) सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब छात्रों को परीक्षा पूर्व शिक्षण (कोचिंग) की कई स्कीमें चलाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए ऐसी सरकारी संस्थाओं और ऐसे प्रतिष्ठित गैर सरकारी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए विशेष स्कीम शुरू की जाएगी जिनमें कोचिंग लेने वाले उम्मीदवारों का प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा परिणाम रहा है। सरकार इन चुनिंदा गैर सरकारी संस्थानों में कोचिंग लेने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों में से होनहार उम्मीदवारों की ओर से शुल्क अदा करने के लिए निधि की व्यवस्था करेगी।

III. **अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन -स्तर में सुधार करना**

शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गंदी बस्तियों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समुदाय के लोग सबसे गरीब हैं और उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है।

(11) **ग्रामीण आवास योजना में समुचित हिस्सा**

इन्दिरा आवास योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे ग्रामीण गरीबों को घर देने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता का कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के ग्रामीण गरीब लाभार्थियों के लिए रखा गया है।

(12) **अल्पसंख्यक समुदाय बहुल गंदी बस्तियों (स्लम) की दशा में सुधार**

केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्ती स्लम विकास कार्यक्रम के अधीन पेय जल आपूर्ति, वर्षा जल निकास, मौजूदा गलियों को चौड़ा करके तथा उन्हें पक्का करके, गंदे पानी के निकास, सामुदायिक शौचालय, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत जन सुविधाओं के माध्यम से शहरी मलिन बस्ती विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित निधि का उपयोग सामुदायिक अवसंरचना और नर्सरी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, गर्भवती महिलाओं एवं शिशु स्वास्थ्य जैसी स्थानीय सुविधाओं के विकास के लिए भी किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत उन मलिन बस्तियों के लिए चिह्नित किया जाएगा जहां पर अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या अधिक हो।

IV. सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम एवं नियंत्रण

सांप्रदायिक दंगों को रोकना तथा इन्हें नियंत्रित करना संबधित राज्य का मूल दायित्व होता है। तथापि, सांप्रदायिक हिंसा के कारण पिछले कुछ दशकों में अल्पसंख्यक समुदायों के जान माल की क्षति हुई है। अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण निःसंदेह इस मामले को सुलझाने के लिए अपनाए गए उपायों के कारगर होने से जुड़ा हुआ है।

(13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम

ऐसे क्षेत्र जिन्हें सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील और दंगा संभावित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है वहां पर दक्षता, निष्पक्ष और पंथनिरपेक्ष रिकार्ड वाले जिला एवं पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए ऐसे क्षेत्रों में एवं अन्यत्र भी सांप्रदायिक तनाव को रोकना उस क्षेत्र के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के मूल दायित्वों में से एक होना चाहिए। इस संदर्भ में इनके कार्य-निष्पादन की क्षमता उनको पदोन्नत करने में एक प्रमुख घटक होना चाहिए।

(14) सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सांप्रदायिक तनाव को हवा देता हो अथवा हिंसा में भाग लेता हो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। विशेष न्यायालय अथवा सांप्रदायिक अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा दी जा सके।

(15) सांप्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों का पुनर्वास

सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत राहत दी जानी चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए तत्काल एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(जहां संभव हो वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक समुदाय को अखिल भारतीय स्तर पर उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक कार्यक्रम/स्कीम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निर्धारित वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों को अलग से चिह्नित किया गया है। उसके बाद, इन लक्ष्यों को प्रत्येक राज्य की अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक समुदाय के लिए राज्य-वार विभाजित किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक राज्य में उस समूह की जनसंख्या के अनुपात में लक्ष्य समूहों तक यह लाभ पहूँचे।)

अनुबंध-III

भारत निर्माण

1. हमारे आर्थिक सुधार कार्यक्रम की मुख्य चुनौती विकास प्रक्रिया को संतुलित करना तथा असमानताओं को दूर करना है। भारत में सर्वाधिक असमानता शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच है। हम अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम को जितना आगे बढ़ाएंगे हमें अपना ध्यान इस पर केंद्रित रखना होगा कि सुधार का लाभ सभी भारतीयों तक पहुॅंचे। जब तक हम अपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आधारभूत संरचना की असमानताओं को शीघ्रता से दूर नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं होगा। ऐसा करने की हमारी क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारी वित्तीय, इंजीनियरी और संप्रेषण क्षमता ने हमें इस अंतर को अत्यंत कम समय में पाटने का अवसर प्रदान किया है। हमारी सरकार भारत निर्माण को इस कार्य को करने के लिए एक समयबद्ध योजना के रूप में देखती है।

2. जहाँ तक सरकार का संबंध है, भारत निर्माण ग्रामीण भारत की विकास-क्षमता को बाधा मुक्त करने का एक प्रयास है। यह सुनिश्चित करना हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि उपेक्षित ग्रामीण भारत की दशा को सुधारा जाए। यह ग्रामीण आधारभूत संरचना के क्षेत्र को आगे बढ़ाने हेतु हमारी अधीरता का संकेत देता है। भारत निर्माण की परिकल्पना ग्रामीण आधारभूत संरचना के छः चुनिंदा क्षेत्रों - सिंचाई, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्राम सड़क, ग्राम टेलीफोनी और ग्रामीण विद्युतीकरण, में अभिनिर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त् करने के लिए चार वर्षीय समयबद्ध व्यावसायिक योजना के रूप में की गई है। हम चाहेंगे कि इनमें से चार क्षेत्रों के लक्ष्य को 1000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव के लिए पूरा किया जाए और ऐसे प्रत्येक गाँव में पक्की सड़क होगी, प्रत्येक बस्ती में जल की पूर्ति होगी, तथा प्रत्येक गॉव में टेलीफोन होगा और बिजली होगी। इसके अलावा हम ग्रामीण आवास की समस्या को दूर करने के लिए 60 लाख मकान बनाएंगे तथा अपनी सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर और बढ़ाएंगे।

3. यद्यपि लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है फिर भी हम आशा करते हैं कि हम इन लक्ष्यों को राज्य सरकारों की सक्रिय साझेदारी से समय पर पूरा करने में समर्थ होंगे।

4. इनमें से प्रत्येक लक्ष्य हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4.1 विगत वर्षो में सिंचाई के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश लगातार कम हुआ है। ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जो धनाभाव के कारण रूकी पड़ी हैं। भारत निर्माण के अधीन ऐसी सभी परियोजनाओं अभिनिर्धारण तथा उन्हें पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा ताकि 100 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा सके। मंत्रालय ने 40 लाख हेक्टेयर तक की ऐसी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहचान कर ली है जिन्हें पूरा किया जा सकता है तथा 28 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई परियोजनाओं को भी पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा पूरी की जा चुकी परियोजनाओं के उपयोग को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है जिससे सिंचित क्षेत्र में 20 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होगी। इसके अलावा भूजल विकास से लगभग 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सींची जा सकेगी। ग्रामीण भारत की कृषि संबंधी विकास की क्षमता का लाभ उठाने के लिए सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश है।

4.2 जहाँ तक सड़कों का संबंध है हमारा प्रयास यह है कि 1000 से अधिक जनसंख्या वाली सभी शेष बस्तियों को इसमें शामिल किया जाए तथा 500 से अधिक जनसंख्या वाले पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों की ऐसी

सभी शेष बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाए जिनका देश के अन्य भागों से संपर्क नहीं है। इस समय ऐसी 66,802 बस्तियां हैं। अनेक अध्ययनों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि ग्रामीण गरीबी को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सड़क संपर्क ही है। भारत निर्माण यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के प्रत्येक गाँव की पहुँच बाजारों और सेवाओं तक संभव हो।

4.3 भारत में लगभग 1.5 करोड़ ग्रामीण आवासों की कमी है। हम अगले चार वर्षों में भारत निर्माण कार्यक्रम के माध्यम में इसके एक बड़े भाग- 60 लाख से अधिक आवासों की मांग पूरा होने की आशा करते हैं।

4.4 ग्रामीण दूरसंचार के क्षेत्र में आई क्रांति से यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत में अधिकांश गांवों में अब टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। तथापि, 66822 गांव अभी भी टेलीफोन की सुविधा से वंचित हैं जिन्हें सितंबर, 2007 तक यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी ताकि भारत के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हो सके। तथापि, हम इस लक्ष्य को व्यापक बनाना चाहेंगे ताकि गांवों में अधिक से अधिक टेलीफोन लगाए जा सकें तथा डाटा उपलब्ध कराया जा सके। जिनके लिए वर्तमान में कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श चल रहा है।

4.5 पिछले 25 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने और इसे व्यापक बनाए जाने के बावजूद अभी भी लगभग 55,000 ऐसे गांव हैं जिनमें स्वच्छ जलापूर्ति स्रोत की सुविधा उपलब्ध नहीं है। देश में लगभग 3 लाख ऐसे गांव हैं जो इस कार्यक्रम के तहत पूरी तरह से शामिल किए जाने से रह गए हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक आवासीय क्षेत्र (गांव नहीं) में स्वच्छ पेय जल स्रोत की व्यवस्था की जाए और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे आवासीय क्षेत्र, जहां जल की गुणवत्ता संबंधी समस्या है, उनका भी पता लगाया जाए।

4.6 ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में धीमी प्रगति हुई है। 1,00,000 से अधिक गांवों को विद्युत आपूर्ति से नहीं जोड़ा गया है। इसमें सुधार करने के लिए हमने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की है। हमारा प्रयास सन् 2009 तक सभी शेष गांवों में यह सुविधा मुहैया कराना है ताकि भारत में प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण हो जाए।

5. भारत निर्माण में 1,74,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का अनुमान लगाया गया है। इसमें अधिकांश धन सरकारी निवेश से प्राप्त होगा। हम नाबार्ड (एन.ए.बी.ए.आर.डी.) के माध्यम से भी भारत निर्माण के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था करने का प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि चयनित कार्यक्रमों के लिए निधि की व्यवस्था की जा सके। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सेवा प्रदान करने की व्यवस्था अलग-अलग प्रकार से की जाएगी जिसमें पंचायत और प्राइवेट सेक्टर को भागीदार के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। आने वाले समय में पंचायतें ग्रामीण परिसंपत्तियों का सृजन और प्रबंधन करने में मुख्य भूमिका निभाएंगी। योजना आयोग पंचायतों द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण बुनियादी कार्यक्रमों के प्रबंधन के विस्तार की दिशा में कार्य कर रहा है। राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। राज्य सरकारें मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियां हैं और पंचायतों को मांग पक्ष को प्रेरित करने की आवश्यकता है जिनके बिना सेवा प्रदान करने का कार्य कारगर नहीं होगा।

6. भारत निर्माण का कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम पहले से चलाए जा रहे हैं। हमने उनमें तात्कालिकता और समयबद्धता की भावना लाने का प्रयास किया है। हम चार वर्ष की अवधि में, अर्थात् 2009 तक जो इस सरकार का कार्यकाल है, भारत निर्माण के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रस्ताव करते हैं।

7. ग्रामीण अवसंरचना के लिए इस सरकार के मुख्य कार्यक्रम के रूप में पिछले बजट में जब भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तब इसे निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों और मीडिया द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। उनकी चिंता कार्यक्रम को समय पर लागू करने तथा उस पर धनराशि सही तरह से खर्च करने के संबंध में थी। भारत निर्माण एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिस पर ग्रामीण भारत के विकास की संभावना का निर्माण होगा। ग्रामीण क्षेत्र को आपस में इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि उससे माल और सेवाओं की आवाजाही हो सके और उन प्रयासों में तेजी लाई जा सके जो प्राइवेट सेक्टर ग्रामीण भारत को बाजारों से जोड़ने के लिए कर रहे हैं। निचले स्तर पर भी अवसर तब मिलने लगेंगे, जब व्यापक बाजार तैयार होगा।

8. भारत निर्माण कार्यक्रम से ग्रामीण परिसंपत्ति का भी सृजन होगा और ऐसा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए होगा। यह हमारे गांवों में ज्ञान उत्पन्न करने का अप्रत्याशित अवसर है क्योंकि वे सुविधाओं से प्रभावी रूप से जुड़ जाएंगे। संचार प्रौद्योगिकी के साथ नए अवसर उपलब्ध होने से हमारे गांव राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों से शीघ्रता से जुड़ जाएंगे और वहां अवसर मिलने लगेंगे।

9. भारत निर्माण केवल सरकार का ही एजेंडा नहीं है। यह सामूहिक एजेंडा है। यह ऐसा एजेंडा है जिसमें प्रत्येक भारतीय की प्रयोक्ता या भागीदार के रूप में भूमिका है।

10. इस सरकार का आकलन भारत निर्माण के आधार पर किया जाएगा। यह बिजली, सड़क, पानी की समस्या का समाधान है। हम 4 वर्षों में 1,74,000 करोड़ रूपए का व्यय करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा यह सुनिश्चित करने के लिए मानीटरन करना होगा कि कार्य समय पर पूरे हों और लोगों को अपने स्थानीय संदर्भ में बदलाव का अनुभव हो। मेरा सुझाव है कि हम भारत निर्माण को मानीटर करने की व्यवस्था करें।

राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

1. शहरी नवीकरण राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में एक प्रमुख प्रतिबद्धता है। इस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने दिनांक 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया।

2. यह मिशन न केवल हमारे शहरों के सुनियोजित विकास हेतु भारत सरकार की अकेली सबसे बड़ी पहल है बल्कि हमारे शहरों की अप्रयुक्त व्यापक क्षमता और ऊर्जा को अधिक से अधिक इस्तेमाल में लाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में भी बढ़ाया गया कदम है। हमारी अर्थ-व्यवस्था के विश्व की आर्थिक प्रणाली के साथ जुड़ने से शहरों की क्षमता को इस्तेमाल में लाना बहुत ही जरूरी हो गया है।

3. 21वीं सदी शहरीकरण की सदी है। नब्बे के दशक में हमारी शहरी आबादी में 6.5 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है। इस सदी के पूर्वाद्ध तक भारत की आधी आबादी इसके शहरों में बसी होगी। ये शहर वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के लिए संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के अन्य शहरों से तेजी से जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए, यह उपयुक्त होगा कि शहरों के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु निवेश किया जाए ताकि उनमें चारों ओर समृद्धि और खुशहाली दिखाई पड़े।

4. आधारभूत ढांचे का विकास करते हुए हमें शहरों में लोगों के जीवन-स्तर में भी सुधार लाना होगा। शहरी विकास का हमारा अब तक का दृष्टिकोण एक ही पहलू पर आधारित रहा है। हमने **शहरी आधारभूत** ढांचे पर अधिक ध्यान दिया है जबकि **लोगों** पर कम। हमें एक ऐसे समेकित ढांचे की जरूरत है जिसमें शहरी आधारभूत ढांचे में निवेश के साथ-साथ शहरों में आम लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों के जीवन-स्तर में भी सुधार हो। शहरी आधारभूत ढांचे और गरीबों के लिए **शहरी आधारभूत सेवाओं** के इन दो घटकों को समेकित करना ही शासन में सुधार है। मुझे खुशी है कि यह मिशन इन दो घटकों-शहरी आधारभूत ढांचा और शहरों में रहने वाले **गरीब लोगों के लिए आधारभूत सेवाओं** पर स्पष्ट ध्यान देते हुए गठित किया गया है। **शासन में सुधार** से तीसरे घटक के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

5. शासन में सुधार को बदलाव हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं पहले इसकी ही चर्चा करूंगा। श्री राजीव गांधी ने अपनी दूरदृष्टि से शहरी स्थानीय निकायों को सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए 74वें संविधान संशोधन की परिकल्पना की थी। यद्यपि पंचायतों से संबंधित 73वें संविधान संशोधन में पर्याप्त आधार दिया गया है, फिर भी, मूल्यांकन से यह प्रकट होगा कि 74वें संविधान संशोधन को अभी भी शहरी शासन में प्रभावी ढंग से अमल में नहीं लाया गया है। शहर न तो अपने अंदर झांक पाए हैं और न ही अपनी अंतर्निहित क्षमताओं, वित्तीय और तकनीकी दोनों क्षमताओं, के साथ विकास कर पाए हैं। बजाय इसके, कई राज्यों में शहरों को अभी भी राज्य सरकारों के 'वाड्र्स' के रूप में देखा जाता है। इसे बदला जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन एक शहर-आधारित कार्यक्रम है। यह शहरों की प्रबंधकीय क्षमता का विकास करेगा। शहरों के पास अपना फिर से विकास करने के लिए वित्तीय शक्ति और तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं। हम मिशन में भागीदारी कानून, प्रकटीकरण कानून आदि के लिए शासन सुधार से संबंधित प्रस्तावों को इस रूप में देखते हैं कि इनसे शहर जन-सेवाओं में सुधार लाने हेतु मानव और वित्तीय संसाधनों का पता लगाने में समर्थ बनेंगे। तकनीकी संसाधनों को इस्तेमाल में लाने के लिए मिशन में प्रत्येक शहर में एक स्वैच्छिक तकनीकी कोष के सृजन की परिकल्पना की गई है।

6. शहरों को एक दीर्घकालीन आयोजना ढांचा विकसित करने की जरूरत है। योजना आयोग तथा मंत्रालयों ने राज्यों के परामर्श से शहरी स्थानीय निकायों को आगे निगाह रखने हेतु राजी करने के लिए सुधार

का एक एजेंडा तैयार किया है। शहरी आयोजना के पिछले सभी प्रयास 'एक परियोजना दृष्टिकोण' के कारण सीमित रहे। अपर्याप्त सेवा और आधारभूत ढांचे के स्तर, इनमें अपर्याप्त निवेश, तथा पर्याप्त भूमि और आवास की अनुपलब्धता की समस्याओं की जड़ें हमारे कानूनों, व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में गहराई तक समाई हुई हैं। एक समस्या यह भी है कि स्थानीय निकाय अपनी शक्तियों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल में लाने और जिम्मेदारियों को कारगर तरीके से वहन करने में असमर्थ होते हैं।

7. मिशन बड़ी संख्या में भागीदारों का समर्थन जुटाएगा। आज आधारभूत ढांचे का विकास एक ऐसा कार्यकलाप है जिसमें वित्तीय संसाधनों की कमी आड़े नहीं आएगी क्योंकि आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के कई संगठन सक्षम परियोजनाओं में सहायता देने के इच्छुक हैं।

8. भारत में शहरी शासन की एक बड़ी विफलता गरीबों के प्रति इसकी उदासीनता रही है। आज शहरों में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हालात में रह रहे हैं जो मौलिक मानव अधिकारों और जीवन-निर्वाह की गरिमा का अपमान है। शहरी आयोजक शहरी नागरिकों की मनोरंजन सुविधाओं का ब्यौरा तैयार करते समय अक्सर शहरी गरीब लोगों के लिए आवास, जलापूर्ति, सफाई और सामाजिक सेवाओं जैसी जरूरी मूलभूत सेवाओं की अनदेखी कर देते हैं। शहरी मूलभूत सेवाओं के मामले में हमें नई सोच विकसित करनी होगी। लैटिन अमेरिका में कुछ ऐसे देश हैं जिनमें केवल एक-एक ही शहर हैं जिनमें उन देशों के आधे से अधिक निवासी रहते हैं। उनमें से कई देशों ने सम्पत्ति के अधिकारों की प्रभावी व्यवस्था के जरिए शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की समस्याओं को दूर किया है। यदि हम शहरी गरीबों को उस भूमि, जिस पर वे आज बसे हुए हैं, का सस्ती दरों पर भू-अधिकार देने जैसे विकल्पों पर ही विचार करते हैं तो हमें तत्काल यह दिखाई दे सकता है कि वे अपना निजी निवेश अपने आवासों में सुधार लाने के लिए कर रहे हैं। इससे शहरों में लोगों के जीवन-स्तर में अपने आप सुधार आएगा। वे सम्पत्ति के अधिकारों का भी साथ-साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। शहरीकरण की समस्याओं का समाधान बुल्डोजर्स नहीं हैं। शहरों को इस बात की जरूरत होती है कि लोग उन्हें सेवाएं मुहैया कराएं, और यदि ऐसा होता है तो जो लोग ये सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। शहरी आधारभूत सेवाओं के घटक में सात सूत्रीय घोषणा की गई है जिनमें पहली टिनेंसी की सुरक्षा है। मैं राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों से आग्रह करुंगा कि वे इस मुद्दे पर गम्भीरता से ध्यान दें।

9. शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वृद्धावस्था पेंशन आदि जैसी कई सेवाएं हैं। ये सभी सेवाएं शहरी निर्धन लोगों को पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं हैं। यह इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए एक निर्धारित एजेंसी होती है जबकि शहरी स्थानीय निकायों ने अपने आपको उस दिशा की ओर नहीं मोड़ा है जिससे वे यह सुनिश्चित कर सकें कि यह सार्वभौमिक सेवाएं शहरी निर्धनों तक पहुंचें। मैं शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय से यह आग्रह करुंगा कि वह शहरों की परियोजना रिपोर्टों की अनुमोदन हेतु जांच करते समय यह सुनिश्चित करे कि मूलभूत सेवाओं के इस घटक के जरिए शहरी निर्धन लोग (क) टिनेंसी की सुरक्षा, (ख) उन्नत आवास, (ग) जलापूर्ति, (घ) स्वच्छता, (ङ) शिक्षा, (च) स्वास्थ्य सेवा और, (छ) सामाजिक सुरक्षा की सात-सूत्रीय जांच सूची में प्रभावी ढंग से शामिल हों।

10. मिशन को चाहिए कि वह उन्नत शहरी आधारभूत ढांचे और उन्नत शहरी मूलभूत सेवाओं को लेकर आगे बढ़े ताकि शहरी विकास के उद्देश्य इसके सभी नागरिकों के लिए लाभकारी हों। मिशन में शासन सुधार की भूमिका ऐसी प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने की होनी चाहिए जिससे कि दोनों को लाभ मिले।

11. हमें शहरी नवीकरण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यहां हमें इस गलतफ़हमी को दूर करने की जरूरत है कि कार्यक्रम केवल आधारभूत ढांचे के बारे में है। वस्तुतः यह पहली बार है जब शहरी मूलभूत सेवाओं पर बराबर जोर दिया जा रहा है। हम पहली बार सुझाव दे रहे हैं कि शहरी निर्धन लोगों को बैंक-ग्राह्य बनाना होगा जिसके लिए उन्हें सम्पत्ति के अधिकार मिलने चाहिए। यह शहरी नीति की प्रक्रिया में एक नया मोड़ है जिसमें उत्साहवर्धक संभावनाएं हैं।

अवसंरचना का विकास : सरकार द्वारा पहलें

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए अवसंरचना का महत्व

1. भारत क्रय शक्ति की तुलना के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था है और तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक है। पिछले दो वर्षों में इसकी विकास दर 7.6% प्रति वर्ष रही है और यह आने वाले वर्षों में 8% प्रति वर्ष की विकास दर हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। इस जबरदस्त विकास से बिजली, सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा रेल सेवाओं जैसे भौतिक आधारभूत ढांचे जिसकी पहले से ही काफी कमी महसूस की जाती रही है, पर निरन्तर प्रभाव पड़ा है। इस बात पर आम सहमति है कि यदि आधारभूत ढांचा संबंधी सेवाओं में वृद्धि नहीं होती है तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में हो रहा विकास अवरूध हो जाएगा। इसलिए सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा अर्थ-व्यवस्था की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा, फिर भी अकेले सार्वजनिक क्षेत्र से अपेक्षित संसाधन जुटाना व्यवहार्य नहीं होगा। इसलिए निजी क्षेत्र की भूमिका महत्व रखती है। आशा है कि दूरसंचार क्षेत्र के मामले जैसा ही इन क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा तथा निजी निवेश से भारतीय आधारभूत ढांचे का चेहरा बदल जाएगा। सरकार की मौजूदा पहलें नीति और विनियामक माहौल तैयार करके तथा जहां अपेक्षित, हो वहां वित्तीय प्रोत्साहन देकर इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा और निजी निवेश पर केन्द्रित हैं। इसके साथ-साथ, जरूरी तंत्रों और प्रक्रियाओं को सशक्त बनाकर नियंत्रण तथा संतुलन के जरिए जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

अवसंरचना सम्बंधी समिति

3. उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में अवसंरचना सम्बंधी समिति गठित की है जो विश्व-स्तरीय आधारभूत ढांचे के सृजन के लिए नीतिगत और विनियामक माहौल तैयार करेगी। इस समिति में वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और आधारभूत ढांचे से संबंधित मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री शामिल हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान इस समिति की समय-समय पर बैठकें हुई हैं और इससे निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन की गति में काफी बदलाव आया है।

4. प्रत्येक आधारभूत क्षेत्र के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में कई कार्योन्मुख उपाय शामिल हैं जिन्हें कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया गया है। 2005-2012 में कार्यान्वित किए जाने वाले इन उपायों से आधारभूत ढांचे की मौजूदा जरूरतों के साथ-साथ बीच-बीच में पैदा होने वाली जरूरतों के भी पूरा होने की उम्मीद है। प्रत्येक क्षेत्र में पहलों का दृश्यावलोकन निम्न प्रकार हैः

राष्ट्रीय राजमार्ग

5. भारत जैसे आकार वाले देश के लिए राष्ट्रीय एकीकरण तथा सामाजिक - आर्थिक विकास दोनों के लिए एक कारगर सड़क नेटवॅर्क जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी कुल लम्बाई 65,569 किलोमीटर है, देश भर में परिवहन के एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै तथा कोलकात्ता को जोड़ने वाले 5,900 किलोमीटर लम्बे स्वर्णिम चतुर्भुज को चार लेन बनाने का चल रहा कार्यक्रम लगभग पूरा होने वाला है। 7,300 किलोमीटर लम्बे उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर को चार लेन बनाने का कार्य दिसम्बर 2009 तक पूरा

हो जाएगा। अवसंरचना संबंधी गठित समिति की 13 जनवरी, 2005 को हुई बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवॅर्क के विकास के लिए एक कार्य योजना को पारित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया गया है जिस पर 2012 तक **कुल 1,75,000 करोड़ रूपये का निवेश** किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:

स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम कॉरिडोरों को चार लेन बनाने का कार्य (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम I तथा II)

6. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण I तथा II में स्वर्णिम चतुर्भुज जो भारत के चार महानगरों जैसे दिल्ली-मुम्बई-चेन्नै-कोलकात्ता को जोड़ेगा, उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर जो श्रीनगर को कोच्चि-सलेम सहित कन्याकुमारी से जोड़ेगा और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर जो सिल्चर को पोरबंदर से जोड़ेगा, शामिल है। इसके अलावा, पोर्ट कनेक्टिविटी तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की कुछ और परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज को चार लेन बनाने का कार्य पूरा होने वाला है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोरों के हिस्से वाली परियोजनाओं पर तेजी से निर्णय लिया जा रहा है ताकि इन्हें दिसम्बर, 2009 तक पूरा किया जा सके।

10,000 किलोमीटर को चार लेन बनाने का कार्य (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम III)

7. मंत्रिमण्डल ने 10,000 किलोमीटर के उच्च घनत्व वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन बनाने के कार्य को मंजूरी दे दी है। यह कार्य निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (वी.ओ.टी.)(टोल) के आधार पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अत्यधिक यातायात वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों का निर्माण करना, राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण-I तथा II नेटवॅर्क से जोड़ना और आर्थिक, वाणिज्यिक तथा पर्यटन के महत्व वाले स्थानों को सड़कों से जोड़ना शामिल है।

6,500 किलोमीटर को छः लेन बनाने का कार्य (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-V)

8. अवसंरचना संबंधी समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण-V के अंतर्गत चार लेन वाले राजमार्गों जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज और अत्यधिक यातायात वाले कतिपय अन्य राजमार्गों के हिस्से शामिल हैं, को निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पी.पी.पीज. के जरिए छः लेन करने के कार्य का अनुमोदन कर दिया है। इन कॉरिडोरों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के प्रथम चरण में चार लेन का किया गया है और इन्हें छः लेन करने का कार्यक्रम 2006 में शुरू किया जाएगा जो 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-V में प्रस्तावित 6,500 किलोमीटर में से लगभग 5,700 किलोमीटर को स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल किया जाएगा और शेष 800 किलोमीटर का अनुमोदित पात्रता मानदण्ड के आधार पर चयन किया जाएगा।

1000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस मार्गों का विकास (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-VI)

9. भारत के कुछ शहरी केंद्रों के बढ़ते महत्व, खासकर वे केंद्र जो एक-दूसरे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित हैं, को देखते हुए एक्सप्रेस मार्ग व्यवहार्य भी रहेंगे और फायदेमंद भी। आधारभूत ढांचा संबंधी समिति ने 15000 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से निर्माण-संचालन-हस्तांतरण के आधार पर 1000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस मार्गों का विकास किए जाने हेतु अनुमोदन दे दिया है। ये एक्सप्रेस मार्ग नए सिधाई मानदंडों पर बनाए जाएंगे।

20,000 किलोमीटर की दो लेन बनाने का कार्य (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-IV)

10. देशभर में संतुलित और समान रूप से बेहतर/चौड़ी सड़कों का जाल बिछाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-IV में 25,000 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 20,000 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को दो लेन वाले राजमार्गों के रूप में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है। इससे उनकी क्षमता, गति और सुरक्षा को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित न्यूनतम विनिर्देशों के समान बनाना सुनिश्चित हो सकेगा।

अन्य राजमार्ग परियोजनाएं (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-VII)

11. राजमार्ग क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने और उनकी सुरक्षा और कुशलता को बढ़ाने के लिए रिंग रोड़ों, बाईपासों, ग्रेड सेपरेटरों और सर्विस रोड़ों का विकास आवश्यक समझा जाता है। अतः 15,000 करोड़ रूपये की लागत से इन सुविधाओं के विकास हेतु एक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

12. पूर्वोत्तर के लिए त्वरित सड़क विकास परियोजना विचाराधीन है जो मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों के लिए सड़क संपर्क मुहैया कराएगी। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य हिस्सों का उन्नयन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी समझे जाने वाले राज्यों के राजमार्ग शामिल होंगे।

संस्थागत पहल

13. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है, का पुनर्गठन करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण संबंधी अनुमति, भूमि अधिग्रहण आदि में विलंब से पैदा होने वाले गतिरोधों को समाप्त करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। प्रस्तावित सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन निदेशालय के जरिए यातायात प्रबंधन तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि इन सभी पहलों से देशभर में कारगर और सुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल फैल जाएगा।

14. एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी आधार पर नीति एवं नियामक ढांचे को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों में पीपीपी के लिए एक आदर्श रियायत करार (मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट) किया गया है। उम्मीद की जाती है कि सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों पर आधारित इस कॉमन फ्रेमवर्क से परियोजना की गति को काफी बढ़ावा मिलेगा और परियोजना के सभी भागीदारों के बीच जोखिम और लाभ का अधिकतम संतुलन सुनिश्चित होगा।

हवाई अड्डे

15. अवसंरचना संबंधी समिति ने कई नीतिगत उपायों की पहल की है जिनसे भारत में विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा। एक व्यापक नागर विमानन नीति तैयार की जा रही है। आर्थिक विनियमन के लिए एक स्वतंत्र हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक भी विचाराधीन है। अभी कुछ समय पहले शुरू की गई मुक्त आकाश नीति के कारण यातायात में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है जो पिछले दो सालों के दौरान 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ गई है।

16. बंगलौर और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और इस समय वे निर्माणाधीन हैं। पीपीपी के जरिए दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और

विस्तार के लिए बोलियों के मूल्यांकन और कार्य आवंटन की प्रक्रिया अंतिम अवस्थाओं में है। चेन्नै और कोलकाता जैसे अन्य बड़े हवाई अड्डे भी पीपीपी रूट के जरिए आधुनिकीकरण हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। इसी प्रकार, देशभर में संतुलित हवाई अड्डा विकास सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास हेतु एक व्यापक योजना भी तैयार की जा रही है। इन सभी उपायों से हवाई अड्डों से संबंधित आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण पर कुल **40,000 करोड़ रूपये** का निवेश होने की संभावना है।

17. राजमार्ग सेक्टर की तरह ही हवाई अड्डों के लिए पीपीपी ट्रांजेक्शंस का मानकीकरण करने और उन्हें सरल बनाने के लिए एक आदर्श रियायत करार भी तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में सुधार लाने के प्रस्तावों को भी शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं को उन्नत बनाना भी शामिल होगा। सीमा शुल्क, आव्रजन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का भी इस तरह से समाधान किया जा रहा है जिससे हवाई अड्डों के इस्तेमाल की कुशलता बढ़े।

बंदरगाह

18. भारत में बड़े बंदरगाहों पर पीपीपी के जरिए लंगर स्थलों के संचालन का अनुभव काफी सफल रहा है। अतः इस कार्यक्रम का विस्तार करने और पीपीपी के जरिए निर्मित किए जाने वाले नए लंगर स्थलों का आबंटन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन हेतु एक आदर्श रियायत करार तैयार किया जा रहा है।

19. सरकार ने विश्वस्तरीय मानक प्राप्त करने के लिए 12 बड़े बंदरगाहों को सशक्त बनाने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए प्रत्येक बंदरगाह 20 वर्ष की एक परिप्रेक्ष्य योजना और 7 वर्ष के लिए एक व्यवसाय योजना तैयार कर रहा है। इस प्रयास में बंदरगाहों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को लगाया गया है और इसके अप्रैल, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है। यह मानते हुए कि जहाजरानी उद्योग बड़े जलयानों की दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए बड़े बंदरगाहों की कैपिटल ड्रेजिंग के लिए भी एक योजना आरंभ की गई है।

20. एक उच्च स्तरीय समिति ने बड़े बंदरगाहों की रेल व सड़क मार्गों से कनेक्टिविटी में सुधार लाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। यह योजना 3 वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित की जानी है। इसके अतिरिक्त, जलपानों के ठहराव की अवधि और लेनदेन लागतों को कम करने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में भी बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने संबंधित पोर्ट ट्रस्टों को तीव्र गति से निर्णय लेने और कार्यान्वयन के लिए और अधिक शक्तियाँ भी प्रत्यायोजित की हैं। साथ ही सुरक्षा और सीमा शुल्क से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने के लिए कई उपाय भी आरंभ किये गए हैं।

21. सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना से बंदरगाह संबंधी अवसंरचना में **60,000 करोड़ रूपये का कुल निवेश** होने की उम्मीद है। भारतीय बंदरगाहों के अवसंरचना के इतने बड़े पैमाने पर और उसकी गुणवत्ता में इस तरह के सुधार से निरंतर वैश्वीकृत होती जा रही दुनिया में भारत को प्रतियोगितात्मक रूप से फायदा होगा।

रेलवे

22. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू माल ढुलाई में तेजी से हुई वृद्धि से दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता रेल ट्रैकों पर काफी दबाव बढ़ गया है। इसलिए, सरकार ने इन उच्च घनत्व वाले रेलमार्गों पर केवल माल ढुलाई वाले कॉरीडोर के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके लिए 20, 000 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश लगने की उम्मीद है। इस संबंध में अपेक्षित सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्टों का कार्य प्रगति पर है और उम्मीद है कि यह कार्य एक वर्ष के भीतर आरंभ हो जाएगा।

23.	माल ढुलाई के लिए कंटेनरों के बढ़ते इस्तेमाल से रेल द्वारा इनके संचलन की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। अब तक रेल द्वारा कंटेनरों के संचलन पर **कॉन्कोर** नामक सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी का एकाधिकार था। वर्ष 2006 के आरम्भ से कंटेनरों के संचलन (मूवमेंट) का कार्य स्पर्धा के लिए खोल दिया जाएगा और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ कंटेनर रेलें चलाने के लिए पात्र होंगी।

24.	शुल्क दरों (टैरिफ) को युक्तिसंगत बनाने और प्रभावी लागत वाले आबंटन तंत्र स्थापित करने की शुरूआत भी होने जा रही है। इसमें "लाइन हॉल" लागतों के लिए भाड़ा संरचना की इंडेक्सिंग की पद्धति भी शामिल है। वाणिज्यिक लेखा-पद्धति और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ शुरू करने के प्रयास भी चल रहे हैं।

अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु उत्प्रेरक योजनाएं

25.	अवसंरचना संबंधी बहुत सी परियोजनाएं लाभ की दृष्टि से व्यवहार्य होने के बावजूद वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हैं। आमतौर पर परियोजनाओं की लंबी अवधियों और सीमित वित्तीय प्रतिलाभों के कारण वित्तीय व्यवहार्यता का अभाव पैदा होता है जो प्रायः उपभोक्ता पर लगने वाले प्रभारों को वाणिज्यिक स्तरों तक न बढ़ाए जाने के कारण उत्पन्न होता है। सरकार एक **वाएबिलिटी गैप ग्रांट** प्रदान करके ऐसी परियोजनाओं में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में अनुमोदित एक योजना के तहत ऊर्जा, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, जलापूर्ति और शहरी यातायात जैसे आधारभूत ढांचा संबंधी क्षेत्रों में परियोजनाएं "वाएबिलिटी गैप ग्रांट" के लिए पात्र होंगी।

26.	भारत आधारभूत ढांचा वित्त निगम लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.) नामक एक विशेष प्रयोजन तंत्र स्थापित किया जा रहा है जो अवसंरचना संबंधी क्षेत्रों में वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए लम्बी अवधि वाला धन देगा जिसमें वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जो सरकार से "वाएबिलिटी गैप फंडिंग" प्राप्त करने के बाद व्यवहार्य बनेंगी। इसका उद्देश्य उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जो इस समय दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराने की स्थिति में नहीं हैं, से लिए जाने वाले ऋणों की अनुपूर्ति करना है। यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं, जो लंबी अवधियों के कारण अव्यवहार्य हो सकती हैं, वित्तीय बाजारों में दीर्घकालिक ऋणों की अनुपलब्धता के कारण उपेक्षित न रह जाएं।

27.	**अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए "वाएबिलिटी गैप फंडिंग" और दीर्घकालिक ऋण की दो ऐसी योजनाएं** हैं जो अवसंरचना निजी क्षेत्र द्वारा वित्तपोषण के अंतर को कम करेंगी। इस पैकेज के जरिए सरकार का यह उद्देश्य है कि काफी मात्रा में निजी पूंजी को आकर्षित करके बजटीय संसाधनों की कमी को पूरा किया जाए।

28.	निजी निवेश के लिए एक ऐसे नीतिगत ढांचे की जरूरत होती है जो उचित प्रतिलाभ दे सके। साथ ही इसके लिए एक ऐसी स्वतंत्र नियामक प्रणाली की भी जरूरत होती है जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को उपयुक्त लगे। ऊर्जा (सीईआरसी और एसईआरसी) और दूरसंचार (ट्राई) क्षेत्रों में व्यापक कार्यों सहित विनियामक प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। राजमार्ग क्षेत्र में विनियमन मुख्यतः रियायत समझौते पर आधारित रहा है जबकि बंदरगाह क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण (टीएएमपी) की भूमिका दरें तय करने तक सीमित हैं। हवाई अड्डा क्षेत्र में हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ए.ई.आर.ए.) विधेयक विचाराधीन है।

आटोमैटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले आधारभूत ढांचा क्षेत्रों की निदर्शी सूची

- विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा के अतिरिक्त)
- विद्युत पारेषण
- विद्युत वितरण
- सार्वजनिक द्रुत यातायात प्रणाली (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम)
- सड़कें एवं राजमार्ग
- टोल सड़कें
- वाहनों के लिए पुल
- बंदरगाह और पत्तन
- होटल और पर्यटन
- टाउनशिप, हाउसिंग, निर्माण आधारभूत ढांचा और निर्माण विकास परियोजना

विदेश नीति संबंधी पहलें - वर्ष 2005 की गतिविधियां

भारत की विदेश नीति के प्रस्तुतीकरण हेतु वर्ष-2005 एक घटनापूर्ण वर्ष रहा है। हमारे देश ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास, अपने लोगों की सक्रियता और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की विश्वसनीयता के दम पर वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। आज भारत विदेश नीति के एक नए युग में प्रवेश करने को तैयार है। ऐसा आर्थिक और सामाजिक घरेलू परिदृश्य में आए बदलाव, परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र के रूप में हमारी स्थिति, क्षेत्रीय और वैश्विक जिम्मेदारियों के निर्वहन की हमारी प्रमाणित और बढ़ती हुई क्षमता और अन्तरराष्ट्रीय मंच पर एक उभरते हुए प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में भारत की वैश्विक अपेक्षाओं में तदनुसार आए परिवर्तन में अपने आपको ढालने की हमारी क्षमता से संभव हो पाया है।

2. भारत का ध्यान निरंतर उन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रहा है जो आज प्रमुख चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं जैसे - आतंकवाद, व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार, विश्व-व्यापी महामारी, पर्यावरणीय ह्रास अथवा आपदा प्रबंधन। एक सशक्त और सुस्पष्ट राजनीतिक प्रयास के जरिए हम अपनी स्थिति को स्पष्ट करने और अपने हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम रहे हैं।

3. देश के आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकीय विकास के अनुरूप भारत ने विकसित देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार किया है और राजनैतिक एकात्मकता के अपने दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत बनाते हुए, साथी विकासशील देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग का विस्तार किया है।

I. आस-पड़ोस

दक्षेस (सार्क)

4. सार्क के प्रति भारत के दृष्टिकोण ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के जरिए सामूहिक सम्पन्नता के साझे लक्ष्य की परिकल्पना की और उसे आगे बढ़ाया। नवम्बर, 2005 में ढाका में हुए सार्क शिखर सम्मेलन में भारत ने संस्कृति और वाणिज्य के एक मंच के रूप में क्षेत्र की भूमिका को दोहराने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों का आह्वान किया। सार्क द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर वस्तुओं, लोगों और विचारों के खुले आदान-प्रदान पर प्रतिबंध हटाने की सर्वाधिक जरूरत को भी हमने रेखांकित किया। भारत ने एक ऐसे समझौते की मांग की जिसमें दक्षिण एशिया के सभी देश एक दूसरे के लिए समान रूप से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराएंगेः

(क) न केवल एक-दूसरे के देश को जोड़ने के लिए बल्कि खाड़ी, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में वृहत्त एशियाई पड़ोसी देशों को जोड़ते हुए भी तीसरे देशों के लिए पारगमन सुविधाएं।

(ख) भारत ने पारस्परिक आधार पर सार्क के सभी पड़ोसी देशों को सभी महानगरों और 18 अन्य शहरों से विनिर्दिष्ट एयरलाइनों के लिए दैनिक हवाई सेवाओं की सुविधा देने का प्रस्ताव किया।

(ग) भारत ने निम्नलिखित सुझाव भी दिएः

- एक क्षेत्रीय खाद्य बैंक
- एक दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय
- वस्त्र और हस्तशिल्प पर एक सार्क संग्रहालय
- दक्षिण एशिया ऊर्जा संबंधी बातचीत
- सार्क मल्टी-नॉडल कनेक्टिविटी
- आपदा प्रबंधन के लिए सार्क केन्द्र

5. इस शिखर सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के लिए एक सार्क केन्द्र स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत ने सन् 2020 तक एक दक्षिण एशिया आर्थिक संघ बनाने का समर्थन किया। एक उद्देश्यपूर्ण उपलब्धि उस समय हासिल हुई जब साफ्टा (दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता) 1 जनवरी, 2006 से, अमल में आ गया।

6. **भूटान, श्रीलंका** और **मालदीव** के साथ भारत के विशेष तौर पर घनिष्ठ, सहयोगपूर्ण और व्यापक संबंध हैं। सतत् राजनीतिक बातचीत, आर्थिक और वाणिज्यिक आदान-प्रदान और राजनीतिक नेतृत्व के बीच सहयोगपूर्ण सम्पर्कों के जरिए इन्हें सुदृढ़ किया गया है। श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति श्री महिन्दा राजपक्ष, जिन्होंने नवम्बर, 2005 में अपना कार्यभार संभाला है, दिसम्बर, 2005 में भारत यात्रा पर आये। भारत ने श्रीलंका को तीन तरह का ऋण प्रदान किया है जो कुल मिलाकर 381 मिलियन अमेरिकी डालर बनता है जो इस समय जारी है।

7. **नेपाल** के साथ भारत के संबंध संवैधानिक ताकतों को सुदृढ़ करने, राजनैतिक स्थिरता पुनः स्थापित करने, सामाजिक मेल-मिलाप को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को पुष्ट करने की दृष्टि से कायम हैं। नरेश ने हमें बहुदलीय लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जो आश्वासन दिया है, वह एक सकारात्मक संकेत है।

8. **बंगलादेश** के साथ भारत की द्विपक्षीय बातचीत व्यापक और अनुकूल रही है। साथ ही हिंसा और उग्रवाद में आयी तेजी और भारत विरोधी ताकतों की बंगलादेश की धरती से लगातार की जा रही कार्रवाई भी चिंता का कारण है।

9. **म्यांनमार** के साथ भारत के संबंधों में रणनीतिक और सीमा प्रबंधन पहलुओं को देखते हुए काफी प्रगति हुई है। परस्पर आधारभूत विकास के जरिए पश्चिमी म्यांनमार के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और आर्थिक एकीकरण करने की जरूरत है।

10. **भारत-पाकिस्तान** संबंधों में लगातार प्रगति हुई है। सितम्बर, 2005 में न्यूयार्क में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच हुई बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य के जरिए सभी लम्बित मुद्दों का एक शांतिपूर्ण हल सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। 8 अक्टूबर, 2005 को आए भूकंप के बाद भारत द्वारा तत्परता से राहत सहायता प्रदान करना, 25 मिलियन डालर का वायदा करना और लोगों और राहत सामग्री की आवाजाही के लिए नियंत्रण रेखा पर पांच स्थानों को खोलना भारत की सद्भावना की एक सही अभिव्यक्ति थी। पाकिस्तान ने अगस्त 2005 में हुए एक समझौते के अनुसरण में 371 मछुआरों सहित 435 भारतीय बंदियों को रिहा किया। काफी समय से प्रतीक्षित अमृतसर-लाहौर बस सेवा 20 जनवरी, 2006 से आरंभ होनी है। तथापि, महत्वपूर्ण बाधा अभी भी है जिसे केवल हिंसा और आतंकवाद से रहित माहौल में द्विपक्षीय संबंधों से ही दूर किया जा सकता है।

11. अगस्त, 2005 में हुई प्रधानमंत्री की **अफगानिस्तान** यात्रा से विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता आयी है। प्रधानमंत्री ने एक प्रभुता-सम्पन्न, स्थाई और खुशहाल अफगानिस्तान के लक्ष्य के प्रति भारत का समर्थन दोहराया है। आधारभूत ढांचे, संस्थागत और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा 550 मिलियन डालर का अंशदान अफगानिस्तान के साथ हमारे स्थायी सहयोग का प्रतीक है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के कर्मचारी श्री मणियप्पन रमण कुट्टी की दूर्भाग्यपूर्ण हत्या जिसकी जिम्मेदारी तालिबान और इसके समर्थकों पर है, जैसे हिंसक तरीकों से भी इसमें व्यवधान नहीं आएगा अथवा इसे टाला नहीं जाएगा।

12. हमने अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश **चीन** के साथ एक स्ट्रेटेजिक और सहयोपूर्ण भागीदारी को आगे बढ़ाया है। चीन के प्रधानमंत्री श्री वेन जियाबाओ के दौरे के समय अप्रैल 2005 में हस्ताक्षर किए गए राजनीतिक पैरामीटर्स और मार्गदर्शक सिद्धांत संबंधी समझौते ने सीमा प्रश्न पर हमारी द्विपक्षीय बातचीत में एक

ठोस प्रगति को दर्शाया है। दोनों देशों ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है और हमारे द्विपक्षीय व्यापार में काफी विस्तार हुआ है।

13. **जापान** के साथ भारत के संबंध मजबूती से और स्ट्रेटेजिक महत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यह भारत द्वारा आधारभूत चुनौतियों से निपटने में विशेष रूप से प्रासंगिक है। जापान के साथ वैश्विक सहयोग में प्रधानमंत्री श्री जूनीकिरो कोईजूमी की अप्रैल 2005 में हुई भारत यात्रा से काफी प्रगति हुई है। द्विपक्षीय सहयोग में की गई आठगुणी पहल और एशिया में शांति, स्थिरता और सम्पन्नता लाने में घनिष्ट सहयोग करने पर हुई सहमति से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और अधिक मजबूत होंगे।

II. आसियान

14. भारत की पूर्वोन्मुख नीति, आसियान के साथ भागीदारी, बिमस्टेक (Bay of Bengal initiative for Multi-Sectoral Economic and Technical Cooperation) के साथ हमारा सक्रिय सहयोग दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारी अर्थव्यवस्था के एकीकरण की न बदलने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दिसम्बर 2005 में क्वालालम्पुर में हुए चौथे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी ने विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती हुई भूमिका और महत्व को दर्शाया है।

15. सिंगापुर के साथ हुआ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता और थाइलैण्ड के साथ विकसित किया जा रहा इसी तरह का मॉडल तथा मलेशिया, इण्डोनेशिया, जापान एवं कोरिया के साथ एफ टी समझौतों को अंतिम रूप देने हेतु संयुक्त अध्ययन दल का गठन इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस गतिशील क्षेत्र के साथ पारस्परिक घनिष्ट संबंध स्थापित करने का कितना महत्व है।

III. खाड़ी और पश्चिम एशिया

16. हमने इस क्षेत्र, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, के साथ पारंपरिक और ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु काफी मेहनत की है। हम मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ अपनी भागीदारी को महत्व देते हैं क्योंकि खाड़ी और पश्चिम एशिया सहित इन देशों का हमारी ऊर्जा सुरक्षा में आवश्यक और महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक ऐतिहासिक घटना है कि सऊदी अरब के बादशाह हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

IV. यूरोप-यूरोपीय संघ

17. सन् 2004 में पांचवें भारत-यूरोपीय शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध स्ट्रेटेजिक भागीदारी के स्तर तक विकसित हुए। ब्रिटेन की अध्यक्षता में सितम्बर, 2005 में हुए नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में स्ट्रेटेजिक वार्ता को सुदृढ़ करने, आर्थिक नीति संबंधी बातचीत को आगे बढ़ाने तथा व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने हेतु सहयोग करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना को अपनाया गया। भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ अलग-अलग स्ट्रेटेजिक भागीदारी की है। सितम्बर, 2005 में प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे और फरवरी, 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से इस संबंध को एक नई गति मिलने की संभावना है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहेगा।

V. भारत-अमेरिका

18. भारत-अमेरिकी संबंधों में बदलाव आना भारत की कूटनीति में सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है। प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई में किया गया दौरा, 18 जुलाई का संयुक्त वक्तव्य, अक्तूबर में हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क

समझौता, जून में रक्षा संबंधों का नया फ्रेमवर्क और मई 2005 में शुरू की गई भारत-अमेरिका ऊर्जा वार्ता में भारत-अमेरिकी संबंधों को मूलभूत रूप से पुनःपरिभाषित करने का क्षमता है। नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग प्राप्त करने हेतु दोनों सरकारों द्वारा लिया गया निर्णय समानता और विश्वास पर आधारित संबंधों का प्रमाण है।

VI. भारत-रूस

19. प्रधानमंत्री का दिसम्बर, 2005 में रूस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को अधिक व्यापक और सुदृढ़ बनाना था। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में सहयोग, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को शामिल करने के लिए कार्रवाई हेतु एक व्यावहारिक और निष्पाद्य एजेंडा तैयार करने में कामयाब रहे।

VII. भारत-लैटिन अमेरिका

20. भारत ने लैटिन अमेरिकी और कैरीबियन क्षेत्र जो प्रायःउपेक्षित रहा है, के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाया है और अपने व्यापार तथा निवेश का विस्तार किया है। ब्राजील के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ हुए हैं क्योंकि हम ब्राजील को एक द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय (आई.बी.एस.ए.) और बहु-पक्षीय (जी-4 और जी-20) रणनीतिक भागीदार के रूप में देखते हैं। हमने वेनेजुएला में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के लिए भी एक विशाल तेल क्षेत्र प्राप्त किया है। इस क्षेत्र के छोटे देशों के साथ बातचीत और सहयोग बढ़ाने की हमारी पहल के एक हिस्से के रूप हमने पहली बार सन् 2005 में भारत-एसआईसीए (8 कैरीबियन देशों) और भारत-केरिकोम (14 कैरीबियन समुदाय के देशों) के साथ मंत्री-स्तर की बातचीत की। लैटिन अमेरिकी और कैरीबियन क्षेत्र को हमारा निर्यात सन् 2004 के 2 बिलियन डालर के मुकाबले सन् 2005 में 3 बिलियन डालर तक पहुंच जाएगा। **मरकोसुर** (ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुगुए और परागुए) तथा चिली के साथ पी टी समझौतों पर हुई बातचीत से द्विपक्षीय व्यापार में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

VIII. भारत-अफ्रीका

21. हमने अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट जिसके लिए हाल ही में भारत और अफ्रीकी संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, को अफ्रीका में डीजिटल खाई को पाटने के लिए तैयार किया गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेगी ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। यह वी.वी.आई.पी. नेटवर्क भी स्थापित करेगी जिसमें सभी अफ्रीकी राष्ट्रों और सरकारों के प्रमुखों को सुरक्षित विडियो कान्फ्रेंसिंग और वीओआईपी सुविधाएं मिलेंगी। इस नेटवर्क का एक प्रोटोटाइप स्थापित करने के लिए समस्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लागत तथा पांच वर्ष तक इसे चलाने का खर्च भारत द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही, भारत स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी लेगा, जो शुरूआती पांच वर्षों के बाद इस नेटवर्क को प्रभावी ढंग से चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेंगे। हमारी यह पहल अफ्रीकी महाद्वीप में छोटे स्तर पर विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है।

22. इस प्रक्रिया को दक्षिण-पूर्व एशिया और खाड़ी के कुछ देशों में दोहराया जा रहा है।

23. इस बात को समझते हुए कि आसान शर्तों पर लम्बी अवधि की पूंजी की उपलब्धता आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है, भारत ने अफ्रीका में कई मित्र देशों को सड़क और रेल परिवहन से लेकर कृषि में काम

आने वाली मशीनरी तथा खाद्य प्रसंस्करण तक के लिए रियायती दरों पर एक बिलियन डालर से अधिक का ऋण प्रदान किया है।

24. भारत ने अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में शांति स्थापना के प्रयासों में हमेशा ही पूरा सहयोग दिया है। 60 के दशक में बायफ्रा जाने वाले पहले देशों में भारत भी एक था; हम सोमालिया और सियेरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाईयों में शामिल हुए और आज भी कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हमारी 3500 सैनिकों की एक टुकड़ी तथा इथोपिया-एरिट्रिया सीमा पर एक छोटी टुकड़ी तैनात है।

25. आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम, जो अफ्रीका में बहुत अधिक लोकप्रिय रहा है, के अंतर्गत इस समय एक हजार से अधिक कर्मचारियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है।

IX. भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ

26. भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के लिए व्यापक अभियान चला रखा है। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थाई और अस्थाई श्रेणियों की सदस्यता के विस्तार का इस विश्वास के साथ समर्थन किया है कि विश्व में राष्ट्रों की एक-दूसरे पर निर्भरता की व्यवस्था हेतु मजबूत व प्रतिनिधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा नियमों पर आधारित एक बहु-पक्षीय प्रणाली की आवश्यकता है। जी-4 फ्रेमवर्क प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार को एक केन्द्रीय मुद्दा बना दिया है जिसकी अब और ज्यादा उपेक्षा या अनदेखी नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता हेतु भारत के जायज दावे के लिए समर्थन लगातार मजबूत और व्यापक होता जा रहा है।

27. यह एक जीवंत और सशक्त लोकतंत्र के रूप में भारत को मान्यता देने का संकेत था जब संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के शुभारंभ के लिए भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बुश और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के साथ आमंत्रित किया गया। भारत ने इसके लिए आरंभिक अंशदान के रूप में 10 मिलियन डालर दिए हैं। भारत का लोकतंत्रिक देशों के बीच सक्रिय सहयोग तथा विश्व में लोकतांत्रिक पहल के लिए समर्थन हमें साझे मूल्यों और आदर्शों वाले राष्ट्रों के साथ हमारे गहरे अनुभव, हमारी संस्थागत क्षमताओं और हमारे प्रशिक्षण सम्बंधी आधारभूत ढांचे जैसी सुविधाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करता है।

निष्कर्षः

28. हाल के महीनों में भारत के विदेश नीति संबंधी प्रयासों की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि हम स्ट्रेटिजिक, आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में दुनिया की महाशक्तियों के साथ अपनी भागीदारी को विकसित करने और सुदृढ़ बनाने में सफल रहे हैं। इस प्रकार, हमने नीति संबंधी अपनी अभिरूचियों और विकास संबंधी विकल्पों का विस्तार किया है।

******